बिहार समाचार

वर्ष : 57, अंक : 4, अप्रैल, 2008

संरक्षक

अर्जुन राय

प्रधान संपादक

राजेश भूषण

प्रकाशक

निदेशक

सूचना एवं जन-संपर्क विभाग

संपादक मंडल

विनोद अनुपम

डा० रामनिवास पाण्डेय

संपादक

डा० रामबदन बरूआ

संपादकीय संपर्क

सूचना एवं जन-संपर्क विभाग

सूचना भवन, बेली रोड

पटना-800001

फोन : 2224278, 2237835

ई-मेल : prdpatna@prdbihar.org

वेबसाइट : www.prdbihar.org

खुदनेश्वर 2

बिहार का सच

अपनी बात 3

नालंदा विश्वविद्यालय अतीत से भविष्य की ओर 4

बिहार में सर्व शिक्षा अभियान, नि:शक्त बच्चों के लिए वरदान 6

अभिवंचितों की शिक्षा के विशिष्ट आयाम 9

स्त्री शिक्षा : एक आंदोलन 12

बिहार : राष्ट्रीय मानदंडों को प्राप्त करती उच्च शिक्षा 14

अल्पसंख्यक बालिकाओं में शिक्षा 16

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड 18

कार्टून 20

राज्य में शिक्षा की योजनाएँ 21

'उमंग' में उत्साह 24

महत्वपूर्ण समाचार 27

भोजपुर : विकास के आईने में 29

जिले की चिट्ठी 30

मंत्रिमंडल के निर्णय 31

त्रि-स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय

तिथिवार बिहार 32

संवाद 33

गवर्नेंस की स्थिति में सुधार को लक्षित पुस्तकें 34

आखिरी पन्ना 36

खुदनेश्वर

साम्प्रदायिक एकता का प्रतीक

अप्सरा

"खुदनेश्वर" एक ऐसा शब्द है, जिसमें खुदा और ईश्वर दोनों का ही समावेश है। साम्प्रदायिक सौहार्द की कथाओं को हम भले ही इतिहास के पन्नों में पढ़ते रहे हों और उन्हें मिसाल के तौर पर प्रस्तुत भी किया जाता रहा हो, लेकिन वर्तमान समय में खुदनेश्वर ऐसा धार्मिक स्थल है जो हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतीक है। उसे हम आने वाली पीढ़ी के लिए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। समस्तीपुर जिला मुख्यालय से 15 कि.मी. दूर मोरवा स्थित खुदनेश्वर के गर्भगृह में शिवलिंग और खुदनी बीबी का मजार है। मुस्लिम बहुल इलाके में स्थित यह मंदिर दोनों सम्प्रदायों की धार्मिक आस्था का प्रतीक है, जहां हिन्दु-मुस्लिम दोनों ही धर्मावलम्बी श्रद्धा से अपना सर झुकाते हैं। मंदिर में स्थित शिवलिंग और खुदनी बीबी के मजार की दूरी मात्र 2 फीट है। सावन में श्रद्धालु गंगा नदी का जल झमटियां सिमरिया घाट से कांवर में भर कर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। साथ ही, उसी गंगा जल का उपयोग खुदनी बीबी के मजार पर चढ़ाने के लिए भी करते हैं। हिन्दुओं के लिए जहाँ सावन माह का महत्व है, वहीं उसी पर्व के लिए मुस्लिम भी इंतजार करते हैं। सावन में उस पर्व के दौरान यहाँ मेला लगता है। सदियों से चली आ रही इस परम्परा को सभी खुशी-खुशी मनाते हैं। लेकिन आज तक किसी भी समुदाय में वैमनस्यता की भावना नहीं पनपी और न ही साम्प्रदायिक तनाव ही पैदा हुआ। मुस्लिम बहुल इलाके में स्थित इस मंदिर को लोग आश्चर्य के साथ देखते हैं। साथ ही, इसे भाईचारा, सद्‌भावना का प्रेरणास्रोत भी मानते हैं। एक किवदंती के अनुसार खुदनी बीबी गाय चड़ाया करती थीं। गाय चराकर लौटते समय गाय अक्सर इस जगह रुक जाया करती थी और गाय के स्तन से दूध निकलना शुरू हो जाया करता था। बाद में उस जगह की खुदाई के पश्चात् वहाँ से शिवलिंग निकला। खुदनी बीबी के अलावा श्रद्धालु वहाँ शिव की पूजा करने लगे। कहते हैं कि शिव की पूजा करते समय ही खुदनी बीबी की मृत्यु हो गई। दोनों ही सम्प्रदायों के लोगों ने मिलकर शिवलिंग के पास खुदनी बीबी का मजार बना दिया। यह स्थल ही बाद में खुदनेश्वर के नाम से प्रचलित हुआ। साम्प्रदायिक एकता की जीती-जागती मिसाल है खुदनेश्वर स्थान। खुदा और ईश्वर का मिला-जुला रूप देखना हो तो एक बार जरूर खुदनेश्वर का भ्रमण करना न भूले, जहाँ मुस्लिम समुदाय शिवलिंग की पूजा करते नजर आयेंगे, वहीं हिन्दू समुदाय उर्स मनाते हुए, पूरी निष्ठा के साथ दोनों सम्प्रदाय द्वारा मिलजुल कर एकता प्रदर्शित करने वाला यह अनूठा स्थल बिहार ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण विश्व को एकता का संदेश देता है। ❑

(लेखिका पत्रकार हैं)

बिहार का सच

राज्य में विकास का माहौल बना है । समय लगेगा लेकिन नया, उन्नत तथा विकसित बिहार एक दिन बनकर रहेगा और बिहारी चहुँओर सम्मान पाएंगे।

– नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

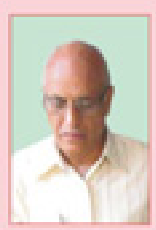

बिहार के पुराने गौरव को वापस लाने की जिम्मेदारी युवा पीढ़ी की है और इसके लिए आपको तैयार रहना होगा।

– के जे राव, पूर्व चुनाव पर्यवेक्षक

बिहारियों के हित की बात आई तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटूँगा, जरूरत पड़ी तो मैं शहीद भी हो सकता हूँ।

मनोज तिवारी, भोजपुरी गायक-सह-अभिनेता

बिहार की प्रतिभा और बिहारियों के सुसंस्कार को दुनिया की कोई भी ताकत झुठला नहीं सकती। प्रतिभा के प्रदर्शन या धनार्जन के लिए अन्य देशों या प्रांतों में जानेवाले बिहार के लोगों को दुनिया की कोई भी ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती।

– सुशील कुमार मोदी
उप मुख्यमंत्री, बिहार

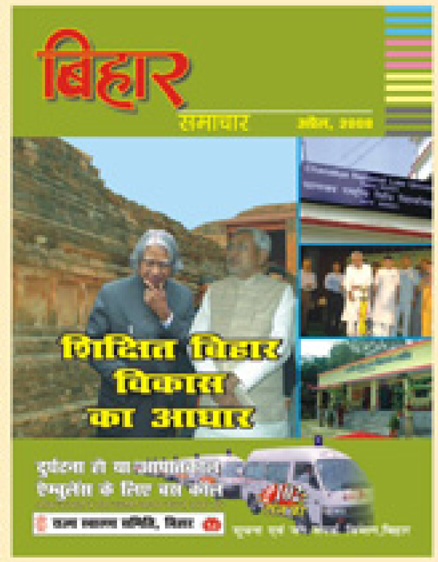

शिक्षा मनुष्य एवं समाज के भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा वह साधन है, जिसकी सहायता से भारत के संविधान में प्रतिष्ठित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र की प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा के आयाम एवं समस्याएँ व्यापक हैं–महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा, अनुसूचित जाति/जनजातियों की शिक्षा, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्गों का शैक्षिक विकास, अल्पसंख्यक एवं विकलांगों की शिक्षा, शिक्षा के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता इत्यादि।

हम सब इस बात से इत्तफाक रखते हैं कि शिक्षा का क्षेत्र काफी विस्तृत है एवं इसके अनेक पहलुओं को एक जगह समेटना बहुत ही मुश्किल है। ''बिहार समाचार'' का यह विशेषांक बिहार में शिक्षा के बदलते परिदृश्य को रेखांकित करता है। जहाँ एक ओर राज्य में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान एवं राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नए संस्थान कार्यरत हुए हैं तथा विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक वातावरण में भी गुणात्मक सुधार दिखने लगा है।

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से भारत सरकार के सर्व शिक्षा कार्यक्रम के Gaps को पाटने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए ''मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना'' अंतर्गत विद्यालयों की चहारदीवारी, खेल के मैदान, भवनों की मरम्मती इत्यादि कार्य बड़े पैमाने पर प्रारंभ किए गए हैं। इन कार्यों के लिए भारत सरकार से कोई निधि उपलब्ध नहीं होती है। इसके अतिरिक्त समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों, अभिवंचित वर्ग के बच्चे/बच्चियों को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने के लिए, अल्पसंख्यक तथा अत्यंत पिछड़े बच्चे/बच्चियों को नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकें, बालिकाओं को पोशाक एवं प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करनेवाली बालिकाओं को उच्च विद्यालयों में नामांकन के लिए प्रेरित करने हेतु साइकिल प्रदान करने की योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है। मुसहर बच्चों एवं दलित मुस्लिमों तथा मुस्लिम समुदाय की बड़ी उम्र की बच्चियों की शिक्षा के लिए विशेष योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक कैलेण्डर तैयार किए गए हैं एवं विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए ''एकलव्य अन्तर विश्वविद्यालय, खेल प्रतियोगिता'' तथा ''तरंग अन्तर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक प्रतियोगिता'' का पहली बार आयोजन हुआ है।

उच्च शिक्षा के नए संस्थानों यथा - चाणक्य विधि विश्वविद्यालय, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इत्यादि ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान, आई.आई.टी. निकट भविष्य में प्रारंभ हो जाएँगे।

हमने प्रयास किया है कि पत्रिका के इस विशेषांक में आपके समक्ष इन सब विकास कार्यों का एक विहंगम चित्र प्रस्तुत हो। हमें आशा है कि पूर्व के अंकों की तरह यह अंक भी आपको आकर्षक एवं रुचिपूर्ण लगेगा।

राजेश भूषण
सचिव
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
बिहार, पटना

नालंदा विश्वविद्यालय अतीत से भविष्य की ओर

डा० रवि कुमार सिन्हा

'इतिहास' सिर्फ अतीत की मूल्यविहीन तथ्यात्मक जानकारियों का ढेर नहीं है, और न ही, 'परंपरा' प्राणहीन गतिविधियों की पुनरावृत्ति। 'इतिहास' और 'परंपरा' अतीत की ऐसी संज्ञा है, जिससे 'वर्तमान' की आकांक्षाओं और भविष्य की सृजनात्मक दिशा की बेहतर समझ मिलती है। इसी अर्थ में ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय को भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम की सलाह पर नीतीश सरकार द्वारा पुनर्जीवित करने का प्रयास एक प्रतीकात्मक पहल माना जा सकता है।

पाँचवीं सदी में उत्तरकालीन गुप्त शासनकाल में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड माना जाता था। पर ह्वेन सांग और ई. त्सिंग के विवरणों, अभिलेखों और पुराविद्या से पता चलता है कि मुख्यत: बौद्ध-विहार होने के बावजूद यह विश्वविद्यालय "ज्ञान की स्वतंत्रता" के आदर्श पर आधारित था। अर्थात्, साम्प्रदायिक या वर्गीय-प्रमुख संस्था न होकर यह सभी सम्प्रदायों और धर्मों के ज्ञान और विचारों का स्वागत करता था। यहाँ बौद्ध धर्म के अतिरिक्त वेद, तर्क विद्या, व्याकरण, चिकित्सा विज्ञान, सांख्य, योग, न्याय आदि अध्ययन के विषय थे।

समय के साथ नालंदा विश्वविद्यालय विकसित होता गया और सच्चे अर्थों में एक अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। कोरिया, मंगोलिया, जापान, चीन, तिब्बत, लंका के अलावा बृहत्तर-भारत और भारत के अन्य भागों से विद्वान एवं शिक्षक अध्ययन-

अध्यापन के लिए यहाँ आते थे। चीन के बौद्ध विद्वानों के अतिरिक्त हुई न्येह और आर्यवर्मा सरीखे कोरियाई विद्वानों की इस विश्वविद्यालय में उपस्थिति इसका प्रमाण है।

डा० कलाम की परिकल्पना ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय की गौरवमयी परम्परा के अनुरूप है। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों से आए मानवहित के प्रति समर्पित अपने-अपने विषयों के ज्ञाताओं का एक संगम-स्थल बनाना हैं, जहाँ मानवीय चिंतन और ज्ञान का स्वरूप और उसकी एकता पर शोध संभव हो सके। प्राचीन और आधुनिक चिंतन के संदर्भ में विज्ञान, तकनीक, अर्थ, अध्यात्म और मानवीय कल्याण के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में यह विश्वविद्यालय सहायक होगा। साथ ही, बिहार के अध्यात्मिक स्थलों, विशेषत: बोधगया, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, और नालंदा की समृद्ध परम्परा के अनुरूप ज्ञान, विज्ञान और कला का आधुनिक संदर्भ में विकास इस विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित हो सकेगा।

इस विश्वविद्यालय को मूर्तरूप देने के लिए बिहार सरकार का उत्साह प्रशंसनीय है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 'खुलेपन' के साथ डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम और प्रोफेसर अमर्त्य सेन जैसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संवेदनशील शिक्षाशास्त्रियों का इस महत्वपूर्ण परियोजना से जुड़ना। पूर्व राष्ट्रपति डा० कलाम ने नालंदा विश्वविद्यालय के 'विजिटर' के रूप में अपना योगदान देना स्वीकार लिया है जबकि नोबेल पुस्कार से सम्मानित प्रोफेसर अमर्त्य सेन 'नालंदा मेंटर ग्रुप' के प्रमुख के रूप में इस विश्वविद्यालय के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता की व्यवस्था कर रहे हैं। प्रोफेसर सेन को विश्वविद्यालय से विशेष अपेक्षाएं है। इससे सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता जैसे शाश्वत् मूल्यों की पुनर्स्थापना होगी। एशियाई देशों के लिए यह संस्था बहुत मददगार साबित हो सकती है। एशियाई देश आपसी तालमेल और सहयोग के लिए पश्चिमी देशों की मध्यस्थता पर निर्भर करते रहे हैं। यह उनके बीच एक सार्थक संवाद स्थापित करने में सहायक होगा। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है गत वर्ष 13-14 जुलाई को सिंगापुर में हो चुकी 'नालंदा मेंटर ग्रुप' की पहली बैठक। इस ग्रुप की अगली बैठक क्रमश: टोक्यो, बीजिंग और नई दिल्ली में होनी सुनिश्चित है। इस अभियान में सिंगापुर के विदेश मंत्री जार्ज यो, लार्ड मेघनाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपौत्र और हार्वड विश्वविद्यालय के प्राध्यापक सुगाता बोस, चीन और जापान के अधिकारी तथा बौद्ध-दर्शन के विशेषज्ञ 'नालंदा मेंटर ग्रुप' के सदस्य के रूप में अपना सहयोग दे रहे हैं। बैठकों और विचार-विमर्श की इस शृंखला के साथ कई ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि ऐतिहासिक नालंदा के भग्नावेश से लगभग 16 कि.मी. की दूरी पर प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए 6 सौ एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यह जगह छ: लेन वाले एक्सप्रेस वे, बुद्ध-पर्यटन परिक्षेत्र तथा प्रस्तावित नये हवाई अड्डे के समीप है। विश्वविद्यालय परिसर की दीवारें बिहार सरकार के कोष से निर्मित होंगी। विश्वविद्यालय भवन और अन्य संरचनाएं तथा शैक्षणिक परिवेश और अध्ययन-अध्यापन की योजना का कार्यान्वयन अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग से होगा। इस व्यवस्था से विश्वविद्यालय का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप बनेगा। प्राचीन विश्वविद्यालय की तरह आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय भी एक स्वायत्त और पूरी तरह आवासीय संस्था के रूप में स्थापति होगा।

एशियाई देशों के लिए यह संस्था बहुत मददगार साबित हो सकती है। एशियाई देश आपसी तालमेल और सहयोग के लिए पश्चिमी देशों की मध्यस्थता पर निर्भर करते रहे हैं। यह उनके बीच एक सार्थक संवाद स्थापित करने में सहायक होगा।

बिहार योजना आयोग के उपाध्यक्ष और नालंदा मेंटर ग्रुप के एक सदस्य एन० के० सिंह के अनुसार 2009-2010 तक यह विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान शुरू कर देगा। प्रारंभिक वर्षों में यहाँ शिक्षकों-विद्यार्थियों की संख्या भले ही कुछ कम हो, पर यह सपना सच होगा, जब विश्वशांति और मानवता के विकास के लिए बिहार बार फिर एक सक्रिय भूमिका निभाएगा।

(लेखक आर. एन. कॉलेज, हाजीपुर में प्राध्यापक हैं।) ❑

बिहार में सर्व शिक्षा अभियान, नि:शक्त बच्चों के लिए वरदान

प्रेम कुमार मिश्रा

बिहार 'शिक्षा परियोजना परिषद्' के माध्यम से **सर्व शिक्षा अभियान** के अन्तर्गत 6-14 आयुवर्ग की सभी कोटि के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है, परन्तु सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में चलायी जा रही सभी योजनाएं तब तक पूर्णरूपेण सफलीभूत नहीं मानी जा सकतीं जब तक समाज के हर वर्ग के लोगों से इस पुनीत कार्य हेतु सहयोग प्राप्त न हो। 6-14 आयुवर्ग के सभी नि:शक्त बच्चों के लिए उनकी क्षमता एवं आवश्यकता के अनुरूप सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ आवश्यकतानुसार सहाय्य उपकरणों की सहायता से विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने हेतु **विविध शैक्षिक योजनाएं** सभी जिलों के सभी विद्यालयों में क्रियान्वित की जा रही हैं। विगत कुछ वर्षों में विद्यालयों में नि:शक्त बच्चों को दी जानेवाली शिक्षा के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध करवायी गयी हैं ताकि सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी अपनी क्षमताओं के अनुरूप शिक्षा ग्रहण कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें तथा अन्तत: अपना जीविकोपार्जन स्वत: कर समाज में सिर उठाकर इज्जत के साथ अपना जीवनयापन कर सकें।

राज्य में 6-14 आयुवर्ग की सभी कोटि के नि:शक्त बच्चों की संख्या 3,13,500 है, जिनमें 2,14,374 बच्चे विभिन्न विद्यालयों में नामांकित हैं, जिन्हें नि:शक्तता के क्षेत्र में प्रशिक्षित एवं विशेष शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जा रही है। वर्ष 2007-08 में किए गए सर्वे के अनुसार 99,126 नि:शक्त बच्चे विद्यालय से बाहर हैं, जिन्हें या तो विद्यालयों में नामांकित कराकर शिक्षा दी जानी है या गम्भीर रूप से ग्रस्त नि:शक्त बच्चों को विशेष शिक्षकों द्वारा गृह आधारित शिक्षा की व्यवस्था की जानी है। बच्चों को समाज का पूर्णरूपेण सहयोग नहीं मिलने के कारण नामांकित अधिकांश बच्चे नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पाते हैं, फलस्वरूप उनमें वास्तविक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास नहीं हो पाता है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे का भी यह कर्तव्य है कि वे अपने नि:शक्त मित्रों को प्रोत्साहित कर शिक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें विद्यालय आने के लिए प्रेरित करें।

कुछ वर्ष पहले राज्य में नि:शक्त बच्चों की शिक्षा हेतु विशेष विद्यालयों की संख्या 10-12 थी, जिनमें महज 1000-1500

बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। राज्य के अधिकांश नि:शक्त बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते थे, क्योंकि सामान्य विद्यालयों में उनकी शिक्षा हेतु व्यवस्था नहीं की गई थी तथा उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु विशेष शिक्षकों की कमी थी। वास्तव में सर्व शिक्षा अभियान विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए वरदान है, जिसमें समावेशी शिक्षा अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। समावेशी शिक्षा अन्तर्गत नि:शक्त बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं ताकि वे भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। राज्य में समावेशी शिक्षा अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं :

1. **जाँच-शिविरों का आयोजन :** प्रत्येक जिले में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जाँच एवं सहाय्य उपकरण उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी पुनर्वास विशेषज्ञों की सहायता से प्रति वर्ष जाँच शिविर आयोजित किए जाते हैं। जाँचोपरांत उनकी जरूरत के अनुरूप सहाय्य उपकरण उपलब्ध करवाये जाते हैं। वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक 72,700 बच्चों को जाँचोपरांत मुफ्त ट्राई-साइकिल, व्हील-चेयर, क्रचेस, श्रवण-यंत्र तथा कैलिपर्स उपलब्ध कराये जा चुके हैं, जिनकी सहायता से वे विद्यालय आ पाते हैं तथा सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं।

सर्व शिक्षा अभियान विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए वरदान है, जिसमें समावेशी शिक्षा अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। समावेशी शिक्षा अन्तर्गत नि:शक्त बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं ताकि वे भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें।

2. **सामुदायिक प्रतिनिधियों एवं शिक्षकों का प्रशिक्षण :** विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों, पंचायती संस्थाओं के सदस्यों एवं नि:शक्त बच्चों के माता-पिताओं को नि:शक्तता के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं ताकि वे समाज के नि:शक्त बच्चों को विद्यालय आकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित कर सकें तथा समाज में नि:शक्तता की रोकथाम की जा सके। अभी तक 1,68,492 सामुदायिक प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। विद्यालयों में कार्यरत 65,246 शिक्षक नि:शक्तता के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित जा चुके हैं ताकि सामान्य बच्चों के साथ सामान्य शिक्षक नि:शक्त बच्चों को भी शिक्षा प्रदान कर सकें।

3. **सेतु-पाठ्यक्रम का आयोजन :** विद्यालय

के पूर्व की तैयारी के साथ-साथ नि:शक्त बच्चों को मानसिक, शैक्षिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से तैयार करने हेतु नामांकित एवं अनामांकित बच्चों के लिए 30 दिवसीय आवासीय सेतु-पाठ्यक्रम का आयोजन प्रशिक्षित शिक्षकों एवं विशेष शिक्षकों की सहायता से किया जाता है। अभी तक प्रत्येक कोटि के 24,775 नि:शक्त बच्चों को सेतु-पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित किया जा चुका है तथा सेतु-पाठ्यक्रम के उपरांत उन बच्चों को सामान्य विद्यालय में नामांकित कराकर विशेष शिक्षकों की सहायता से शिक्षा दी जा रही है।

4. **संसाधन शिक्षकों का नियोजन :** विद्यालयों में तकनीकी अनुसमर्थन प्रदान करने एवं नि:शक्त बच्चों को विशेष रूप से शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रत्येक जिले में 21 विशेष शिक्षकों का प्रावधान किया गया है ताकि वे अपने पोषक क्षेत्र में परिभ्रामी रूप में विद्यालयों को तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को तकनीकी अनुसमर्थन प्रदान कर सकें। अभी तक राज्य के विभिन्न जिलों में 254 संसाधन शिक्षक कार्यरत हैं।

5. **स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से सेतु-पाठ्यक्रम का आयोजन :** राज्य के विभिन्न जिलों में नि:शक्तता के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सेतु-पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अभी तक 2,400 दृष्टि बाधित बच्चों को सेतु-पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षित किया जा चुका है तथा सेतु-पाठ्यक्रम के उपरांत सामान्य विद्यालयों में नामांकन कराया गया है।

6. **संसाधन केंद्र एवं ईयर-मोल्ड लेबोरेटरी की स्थापना :** राज्य के 20 जिलों में संसाधन केंद्र की स्थापना की गई है, जहां जाँच हेतु सभी जाँच उपकरण उपलब्ध हैं। संसाधन केंद्र स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक जिले में नि:शक्त बच्चों के माता-पिता अपने बच्चों की जाँच संसाधन केंद्रों में करा सकें तथा ससमय उन्हें सहाय्य उपकरण उपलब्ध कराया जा सके। प्रत्येक संसाधन केंद्र में संसाधन शिक्षक प्रतिनियुक्त किए गए हैं ताकि नि:शक्त बच्चों की जाँच एवं पुनर्वास कार्य प्रतिदिन किया जा सके। साथ ही, राज्य के 5 जिलों में ईयर-मोल्ड लेबोरेटरी की स्थापना की गई है, जहां श्रवण नि:शक्त बच्चों को श्रवण-यंत्र के साथ उपयोग में आनेवाले ईयर-मोल्ड प्रदान किये जाते हैं।

दरअसल सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नि:शक्त बच्चों के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए हर वर्ग के लोगों को आगे आना होगा। नि:शक्त बच्चों को हम कल पर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर समय से उन्हें शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है तो वे समाज पर बोझ बन जायेंगे। इन बच्चों में क्षमताओं की कमी नहीं होती है, जरूरत इस बात की होती है कि सही समय पर उन्हें अवसर प्रदान किया जाये ताकि अपनी क्षमता के अनुकूल वे अपना विकास कर सकें। नि:शक्त बच्चों के माता-पिताओं को अपने बच्चों के शैक्षिक पुनर्वास हेतु बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के जिला कार्यालय से सम्पर्क करना चाहिए ताकि नि:शक्त बच्चों के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रम का वे लाभ प्राप्त कर सकें। ❑

लेखक बिहार शिक्षा परियोजना अंतर्गत नि:शक्त बच्चों की शिक्षा के प्रभारी हैं।

अभिवंचितों की शिक्षा के विशिष्ट आयाम

शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

शिक्षा मानव मात्र का अधिकार ही नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण समाज की रचना और उसे कायम रखने के लिए एक प्रभावी औजार भी है। शिक्षा महत्वपूर्ण मानव उद्यम है। शिक्षा हमें हमारी दुनिया को समझने में मदद करती है। हमें इस दुनिया के प्रति संवेदनशील भी बनाती है। इतना ही नहीं, यह वह क्षमता पैदा करती है कि हम अपने विचारों को कार्यरूप दे सकें। असल में, जब दुनिया के बारे में सही समझ नहीं होगी, तब उसमें मानवीय हितों के अनुकूल परिवर्तन कैसे ला सकते हैं?

शिक्षा जीवनपर्यन्त चलते रहने वाली प्रक्रिया है। अत: शिक्षा का मक़सद बच्चे को ऐसा सीखनेवाला बनाना है जो अभिप्रेरणा से भरा हो, खुद फैसला लेने में समर्थ हो तथा निरन्तर सीखने के लिए उद्यत हो। यही वस्तुत: अच्छी शिक्षा है।

अधिकारवादी दृष्टि से देखें तो हर समाज का कर्तव्य है कि वह अपने प्रत्येक सदस्य के लिए अच्छी शिक्षा पाने लायक परिवेश की रचना करे। वह ऐसी शिक्षा व्यवस्था संगठित करे जो इतनी संवेदनशील और सचेतन हो कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा की गारंटी दे सके। केवल कानून बना देने से या भौतिक संरचना खड़ी कर देने से यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि बच्चा उसमें खुद ही आ जाएगा और शैक्षिक सुविधाओं का लाभ ग्रहण कर लेगा।

इस प्रकार अधिकारपरक शिक्षा व्यवस्था के दो प्रकार के अभिलक्षण स्पष्ट हैं। एक का बच्चे के वातावरण से सरोकार है तो दूसरे का बच्चे से है। पहले सरोकार के मुताबिक ऐसी शिक्षा व्यवस्था के पास अच्छी शिक्षा का ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए कि वह हर अभिवंचित बच्चे के पास पहुँचने में समर्थ हो चाहे बच्चे की सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, भौगोलिक स्थिति कितनी ही विषम क्यों न हो। दूसरे सरोकार के अनुसार वह शैक्षिक कार्यक्रम ऐसी क्षमता से युक्त होना चाहिए, जो बच्चे को सीखने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहे।

पहुँचने की शर्त के भी अनेक आयाम हैं। सबसे महत्वपूर्ण आयाम यह है कि बच्चा जिस समाज का अंग है उस समाज में उस शैक्षिक कार्यक्रम की स्वीकृति आवश्यक है।

अधिकारपरक शिक्षा सम्पन्नता के लिए शिक्षा शास्त्रीय आयाम भी महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से संरचनावादी प्रयास समीचीन है। बच्चे को समग्रवादी दृष्टि से आजीवन सीखने की प्रक्रिया में ढालना है। यह बच्चे के जीवन के अनुभवों से ही सीखने की प्रक्रिया पर आधारित होगी। बच्चे की समझदारी, उसकी आदतें तथा कौशल को आधार बनाकर उसके विकास की अभिप्रेरणापरक रूपरेखा खड़ी की जा सकती है

इस रूपरेखा के तहत कतिपय महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा जरूरी है:

1. विद्यालय के बाहर का परिवेश।
2. विद्यालय का आन्तरिक परिवेश।
3. पाठ्यक्रम तथा शैक्षिकी (Pedagogy)।
4. सहजकर्ता (शिक्षक तथा समुदाय उत्प्रेरक)।
5. सीखने तथा पढ़ाने की सामग्री। ये बिंदु वस्तुत: व्यापक विमर्श तथा बहस की मांग करते है। परंतु उनके लिए यहाँ अवकाश व अवसर नहीं है। सो, उन पर संक्षेप में चर्चा होगी।

विद्यालय के बाहर का परिवेश

अच्छी शिक्षा हेतु 'सीखना'। सीखने के लिए शिक्षा के औपचारिक तथा औपचारिकेतर दोनों भागों से ऊर्जा मिलती है। औपचारिक भाग का रिश्ता विद्यालय से है तथा औपचारिकेतर भाग का विद्यालय के बाहर के परिवेश से है जिसमें परिवार-समुदाय सभी शामिल हैं। अगर शिक्षा के कार्यक्रम को गम्भीरता से देखें तो इसका सीधा असर शिशु के सामाजिक-सांस्कृतिक ज्ञान पर, उसके भौतिक संसार के ज्ञान पर, मूल्यों पर, विश्व दृष्टिकोण पर तथा उसके व्यवहार पर पड़ता है। कल तक परिवार और समाज में शिशु का जो व्यवहार था, शिक्षा कार्यक्रम से गुजरने के बाद उसका व्यवहार बदल जाता है। यह सामुदायिक जीवन में सीधा हस्तक्षेप है। (इसके बचाव के लिए यूनेस्को ने माँ-बाप को स्कूल चुनने की आजादी की संस्तुति की है)। लोकतांत्रिक समाज में बिना परिवार और समुदाय की स्वीकृति के इस प्रकार के हस्तक्षेप का अधिकार शिक्षा कार्यक्रम को

नहीं है। इसलिए शिक्षक को परिवार और समुदाय से लगातार सम्पर्क-संवाद बनाए रखने की जरूरत होगी।

फिर सीखने की प्रक्रिया को जीवन्त बनाने के लिए बच्चों में जीवन के अनुभवों की समझ विकसित करनी होगी। इस दृष्टि से शिक्षक को समुदाय के रोजमर्रा के अनुभवों की ही नहीं, वरन् सामाजिक-सांस्कृतिक तथा आर्थिक-राजनैतिक कार्य की भी समझ बनानी होगी। दरअसल, यह समुदाय से लगातार संवाद बनाए रखकर पूरा किया जा सकता है। इस समग्र समझदारी के आधार पर ही स्कूल की शैक्षिक

अभिवंचित बच्चे ऐसा स्कूल चाहते हैं जहाँ वे अपनी हर कठिनाई बताने को स्वतंत्र हों। इसमें भय की कोई जगह न हो। बच्चे प्रश्न करना सीखें। शिक्षक प्रश्न करना सिखाएँ। जिन्दगी बिताने के जनतांत्रिक तौर-तरीके सिखाने की जगह तो स्कूल ही है। यहाँ ऐसे अवसर पैदा किए जायें, जहाँ निर्णय लेने की जरूरत हो और उसमें भाग लेकर बच्चे खुद निर्णय करना सीखें।

योजना बन सकती है जिसमें हर बच्चा अनूठा होगा।

यह भी आवश्यक है कि समुदाय स्कूल में दिलचस्पी ले। अगर अभिवंचित समाज सामाजिक-सांस्कृतिक-मनोवैज्ञानिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं है तो समुदाय को इसके लिए पहल करनी होगी कि वह पाठ्यचर्या, गतिविधियों आदि में दिलचस्पी ले, प्रश्न करे और सुझाव दे। ऐसी परिस्थिति निर्माण के बाद ही सही मायने में लोकतांत्रिक रीति से पाठ्यचर्या का निर्माण हो सकता है।

विद्यालय का आन्तरिक परिवेश

भारत में टोल, पाठशालाएँ या मदरसे थे। स्कूल तो अँग्रेजी राज्य की देन है। एक दफ्तर की तरह 10 बजे से 4 बजे की दिनचर्या वाली। आजादी मिली। मगर दफ्तर की शक्ल कायम रही। 1947 के बाद बड़ी तायदाद में स्कूल बने, एक बड़े तंत्र के पुर्जे की भाँति। दफ्तरीकरण

और घनीभूत हुआ। स्कूल से उम्मीद की जाती है कि वह दस बजे खुले। शिक्षक दस बजे आएँ, 4 बजे चले जाएँ। बच्चे भी उसी प्रकार आएँ और चले जाएँ। अभिवंचित बच्चों के लिए यह दफ्तरी या फैक्टरी का वातावरण काट खाने को दौड़ता है। स्कूल एक ऐसी संस्था है जिसकी हर बच्चे तक पहुँचने की जिम्मेदारी है। अभिवंचित बच्चे ऐसा स्कूल चाहते हैं जहाँ वे अपनी हर कठिनाई बताने को स्वतंत्र हों। इसमें भय की कोई जगह न हो। बच्चे प्रश्न करना सीखें। शिक्षक प्रश्न करना सिखाएँ। जिन्दगी बिताने के जनतांत्रिक तौर-तरीके सिखाने की जगह तो स्कूल ही है। यहाँ ऐसे अवसर पैदा किए जायें, जहाँ निर्णय लेने की जरूरत हो और उसमें भाग लेकर बच्चे खुद निर्णय करना सीखें। समस्याएँ सुलझाएँ। स्कूल जाकर मात्र चले आने की जगह नहीं है। स्कूल अपना है इसकी भावना पैदा हो। स्कूल से भावात्मक जुड़ाव हो। इसके लिए बच्चों की भावात्मक और संज्ञानात्मक जरूरतों के बारे में साहसिक प्रतिक्रिया देने की परिपाटी बने। बच्चे विभिन्न मेधा के होते हैं, विभिन्न आदतों- अभिरुचियों वाले होते हैं, विषम परिस्थितियों में रहते हैं। विद्यालय की शैक्षिक योजना इन सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखकर बननी चाहिए और समय-समय पर आकलन करके जरूरी परिवर्तन को अंजाम देना चाहिए जिससे कि सीखने के कार्यक्रम से कोई बच्चा अछूता न रह जाये। स्कूल केवल भौतिक संरचना नहीं है, यह सामाजिक तथा शैक्षिकीय संरचना भी है। बच्चे बाल पंचायत जैसी संस्था के जरिए जनतांत्रिक जीवन पद्धति तथा प्रबन्धन पद्धति के आरम्भिक अनुभवों से परिचित कराये जा सकते हैं। समूह में अध्ययन और सामूहिक उपलब्धि, सामाजिक समरसता लाने के लिए पूर्ववर्ती अनुभव कारगर हो सकता है।

पाठ्यक्रम तथा शैक्षिकी (Pedagogy)

शिक्षा का मुख्य मकसद इस संसार से हँसी-खुशी के साथ निबटना है। जिस संसार में हम रहते हैं उसके साथ सही तरह से निबट सकें, इसके लायक हमें समझदारी और कौशल अर्जित करनी है। यही जरूरत हमारे अभिवंचित समुदाय के बच्चों की भी है। प्राथमिक कक्षाओं में इस दिशा में आरम्भिक पहल हो सकती है। मगर सीखना शिशु के जीवन के तजुरबे पर आधारित होना चाहिए। ज्ञान की रचना में शिशु की सहभागिता होनी चाहिए, उसके तजुरबे के आधार पर। लेकिन इसके लिए उसे जरूरी औजारों को प्राप्त कर लेना चाहिए। वे औजार हैं भाषा, तर्क, अवलोकन, चिन्तन, एकाग्रता, कल्पना, भावनात्मक नियंत्रण, संवाद, संचार आदि। इन औजारों की सहायता से वह सूचनाओं का सही इस्तेमाल कर संसार के बारे

में समझदारी प्राप्त कर सकेगा। इन्हीं में विषयवस्तु तथा प्रक्रिया सन्निहित है। विषयवस्तु का मतलब है, अवधारणाएँ, मूल्य, कौशल जिनका विकास करना है और प्रक्रिया भौतिक तथा मानसिक गतिविधि है जिसके जरिए विषय वस्तु कार्यान्वित होती है। इस प्रकार समूची प्रक्रिया में बच्चे को सीखने की प्रक्रिया को केन्द्र में रखा जाता है। ऐसे अवसर पैदा किए जाते हैं कि सीखने में शिशु दिलचस्पी ले। शिशु को जब ऐसा मौका मिलेगा तभी वह स्वतंत्र रूप से सीखेगा और अपनी सीखने की गति के अनुसार सीखेगा।

हर शिशु के सीखने की शैली भी विशिष्ट होती है। यह उसकी मेधा की कोटि पर निर्भर करती है। विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉ0 हॉवार्ड गार्डनर के अनुसार बच्चे बहुल मेधा के जरिए सीखते हैं। ये बहुल मेधा आठ हैं, यथा:

(क) शाब्दिक (ख) तार्किक (ग) शारीरिक (घ) चित्रात्मक (ङ) रागात्मक (च) प्राकृतिक (छ) सामाजिक (ज) अंतर्मुख्यात्मक (चिन्तनात्मक)।

ये मेधाएँ अलग-अलग बच्चों में अलग-अलग परिमाण में विकसित हैं। यदि हम बाल केन्द्रित जनतांत्रिक प्रक्रिया अपनाते हैं तो कक्षा में पढ़ाने का तरीका, बैठाने का तरीका भी बदलेगा। अनेक बार कक्षा में बच्चों को समूह बनाकर मुद्दे दिए जाएँगे और बच्चे आपस में चर्चा करेंगे। ऐसे में अनुशासन की तसवीर बदलेगी। शिक्षक अकेले अधिकारी नहीं रहेंगे। बच्चों की उसमें हिस्सेदारी होगी।

कार्यान्वयन की दृष्टि से अनेक मुद्दों पर मसलन, कथोपकथन, स्वांग आदि का भी इस्तेमाल होगा। इसके लिए पूर्व प्लानिंग आवश्यक होगी।

सहजकर्ता

अभिवंचित (शिक्षा से वंचित) समूहों के टोलों में पहली **पीढ़ी वालों** की तायदाद प्राय: 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत होती है। इन बच्चों के साथ स्कूली शिक्षकों का संवाद सहज-सुगम नहीं हो पाता। समुदाय और स्कूल के बीच केवल भौगोलिक खाई ही नहीं है, बल्कि, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक खाइयाँ भी हैं। इन पर सेतु की जरूरत है। सेतु का काम वही कर सकता है जो समुदाय का अंग हो, वहीं रहता हो, उनकी भाषा जानता हो, उनकी जिन्दगी से पूरी तरह परिचित हो। इस दृष्टि से यह कार्य कोई सामुदायिक उत्प्रेरक ही कर सकेगा/सकेगी जो स्थानीय हो।

इस प्रकार स्कूल समुदाय शिक्षक के साथ समुदाय उत्प्रेरक का योग बनता है। समुदाय उत्प्रेरक की भूमिका सहजकर्ता के तो रूप में है। वैसे बाल केन्द्रित शिक्षा के लिए शिक्षक समुदाय की भूमिका भी सहजकर्ता की तो ही होगी।

अधिकारपरक पृष्ठभूमि में बाल केन्द्रित शिक्षा के संन्दर्भ में अभिवंचित बच्चों के लिए,

अभी तक प्रचलित पाठ्य-पुस्तकों सामान्य रूप से एक कमी देखने को मिली है कि अभिवंचित वर्ग के लोगों से ज्ञान का प्रवाह गैर-अभिवंचित वर्ग के लोगों की ओर नहीं जाता है। हमेशा गैर अभिवंचित वर्ग के लोगों की ओर से ही ज्ञान प्रवाहित होता है, जबकि अभिवंचित वर्ग सदियों से जमीनी और शारीरिक कामों में श्रेष्ठता साबित करता आया है।

शिक्षकों की भूमिका का महत्व पहले से कहीं अधिक हो जाता है। शिक्षक को अपने बच्चों के लिए सीखने का कार्यक्रम (पाठ्यक्रम से लेकर सभी गतिविधियों तक की प्लानिंग) पहले से सुनियोजित करना होगा तथा उसे लागू करना होगा। शिक्षक को हर बच्चे को अनूठा मानकर योजना बनानी होगी। बच्चे क्या सीख रहे हैं, किस प्रकार उनका विकास हो रहा है, सब पर निगाह रखना शिक्षक की जिम्मेदारी होगी। प्रत्येक बच्चे का जीवनवृत्त तैयार करना होगा। प्रथम पीढ़ी के पढ़नेवालों की सूची टाँगनी होगी, जिससे कि उनपर फोकस किया जा सके।

इसके साथ समुदाय से निरन्तर संवाद बनाकर रखना होगा जिससे समुदाय के लोग विद्यालयी गतिविधियों से वाकिफ रहेंगे। इस मोर्चे पर शिक्षकों को समुदाय उत्प्रेरक से भरपूर मदद मिलेगी। विद्यालय में भी सारे शिक्षकों को मिलकर सहयोग की भावना से काम करना होगा।

इन शिक्षकों से जो उम्मीद की जाती है, उसपर खरा उतरने के लिए उन्हें शिक्षा कार्यक्रम से गुजरना होगा। सामान्य प्रशिक्षण से कुछ उजास नहीं हो पाएगा। इस शिक्षा प्रोग्राम में शिक्षकों को जनतांत्रिक पद्धति का आस्वादन कराना होगा। तभी वे स्कूलों में इस प्रकार की पद्धति चलाने में समर्थ होंगे। इन्हें समुदाय से संवाद के गुर सिखाने होंगे। इसी प्रकार की मिलती-जुलती सीखने की व्यवस्था सामुदायिक उत्प्रेरकों के लिए करनी होगी। हर 15 दिनों पर विचार-विमर्श के लिए शिक्षक मिलेंगे तथा प्रतिदिन तैयारी के लिए 2 घंटे लगाएँगे। इस तरह की व्यवस्था सामुदायिक उत्प्रेरकों के लिए भी करनी होगी।

सीखने-पढ़ाने की सामग्री

शिक्षकों को सहजकर्ता की भूमिका निभानी है। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण पठन-पाठन सामग्री की तैयारी जरूरी है। फिर बच्चे तो हैं ही। उनके लिए भी विविध सामग्रियाँ तैयार करनी होंगी। अभिवंचित बच्चे पढ़ने के कौशल में कमजोर पाए गए हैं। उनके लिए **पठन कार्ड** बनाने होंगे। अभी तक प्रचलित पाठ्य-पुस्तकों सामान्य रूप से एक कमी देखने को मिली है कि अभिवंचित वर्ग के लोगों से ज्ञान का प्रवाह गैर-अभिवंचित वर्ग के लोगों की ओर नहीं जाता है। हमेशा गैर अभिवंचित वर्ग के लोगों की ओर से ही ज्ञान प्रवाहित होता है, जबकि अभिवंचित वर्ग सदियों से जमीनी और शारीरिक कामों में श्रेष्ठता साबित करता आया है। इसकी भरपाई करने के लिए पूरक सामग्री बनानी होगी, जो अभिवंचित वर्ग के लोगों द्वारा पैदा किए गए ज्ञान को उजागर करे। इससे उनमें उत्प्रेरणा, उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्रियों, जो कम दाम की, बहुल उपयोगी और स्थानीय विशेषज्ञता से युक्त हों, का निर्माण करना होगा। बच्चे, शिक्षक, उत्प्रेरक-सभी नव निर्माण में भाग लेंगे।

अभिवंचितों की शिक्षा के सन्दर्भ में ऐसे कार्यक्रमों की पहल हुई है। उन कार्यक्रमों पर अमल करने की कोशिश होनी चाहिए। आशा है इसके अच्छे फल मिलेंगे। ❑

स्त्री शिक्षा : एक आंदोलन

सीमा भारती

स्त्री-शिक्षा पर किसी विमर्श के पूर्व शिक्षा से संबंधित दो बातें आवश्यक हो जाती हैं। प्रथमत: शिक्षा और इसका उद्देश्य क्या है? इस पर विचार करना आवश्यक है। शिक्षा सिर्फ ज्ञान का लेन-देन नहीं, अपितु सामाजिक रूपांतरण के लिए किया जाने वाला नैतिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक कर्म है। इसी सामाजिक रूपांतरण से मनुष्य के पूर्ण बनने की सिद्धि होती है। क्रमिक क्रिया के अनुसार ऐसे ही पूर्ण मनुष्यों को मिलाकर एक पूर्ण स्वस्थ समाज और पूर्ण विश्व की धारणा साकार होती है। पर आज अगर हम अपने ही आस-पास दृष्टि दौड़ाते हैं, तो यह धारणा छिन्न-भिन्न हो जाती है। शिक्षा का अर्थ मात्र साक्षरता के साथ एक विशिष्ट सूचनाओं की प्राप्ति है। सूचनाएं भी वही जो हमारे राजनीतिज्ञ निर्धारित करते हैं। शिक्षा पूरी तरह उद्देश्यहीन होकर रह गयी है। तथापि, यह तय है कि शिक्षा विचारशील बनाती है। तर्कशक्ति उन्नत करती है। साथ ही, ऐतिहासिक कर्तव्यों के लिए उद्‌बोधित करती है।

शिक्षा-मनुष्य को संवाद कायम करने की क्षमता देती है, और स्वयं को पहचानने का अवसर भी हम मानते हैं कि औपनिवेशिक काल में हमारे देश की स्वस्थ शिक्षा-परंपरा नष्ट हो गयी थी और शिक्षा मात्र शासन की जरूरतों को पूरा करने का साधन थी। बहुसंख्यक श्रमजीवी जनता के लिए उसके दरवाजे बंद थे। किन्तु आज स्वाधीनता प्राप्ति के 60 वर्षों के बाद भी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। आज भी दलित-शोषित लाभ से वंचित, दो पैरों वाले पशु की तरह हैं और स्त्रियां चाहे वे किसी समाज, किसी वर्ग की हों, उनसे अधिक शोषित कोई नहीं है। उनके शोषित होने का प्रमुख कारण उनकी अशिक्षा है।

मलयालम के एक कवि उल्लूर का कहना है कि एक बालक के शिक्षित होने से एक घर का अंधेरा दूर होता है पर एक बालिका के शिक्षित होने से कई घरों

का अंधेरा दूर हो जाता है। वस्तुतः स्त्रियां घर की नींव होती हैं। उन्हें शिक्षा से वंचित रखना अनुचित ही नहीं, मानवीय अपराध है। सच तो यह है कि ऐसा करना प्रकारांतर से भावी पीढ़ी को अशिक्षित रखना है।

संपूर्ण शिक्षा की बात तो दूर है। साठ

स्पष्ट चिंतन या लक्ष्य-बोध नहीं है।

हां, उच्च वर्ग में शिक्षा की प्रगति संतोषजनक है। किन्तु जितनी भी स्त्रियां शिक्षित हुई हैं, उनमें कुछ को छोड़कर, सभी की शिक्षा मात्र डिग्री की प्राप्ति है। उन्होंने शिक्षा को सही अर्थों में ग्रहण नहीं किया है। उन्होंने अपने मन

पहचान करा सके।

स्त्री-शिक्षा को आंदोलन का रूप देने का अर्थ स्त्री-शिक्षा के आंदोलन से कहीं अधिक है। यह दरअसल स्त्री-चेतना की जागृति का प्रमाण है। यह आंदोलन असमानताओं की इस परजीवी व्यवस्था की जड़ों पर ही

बिहार : राष्ट्रीय मानदंडों को प्राप्त करती उच्च शिक्षा

विजय कुमार शुक्ला

बिहार के कई उच्च शिक्षा एवं तकनीकी संस्थानों में देश के विभिन्न प्रदेशों के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि बिहार में दूसरे राज्यों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। सहज विश्वास नहीं होता। इस अविश्वास की वजह भी है। अभी कुछ ही वर्ष पहले तक बिहार के बच्चे उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिये दिल्ली, पुणे, चेन्नई, बंगलोर, राजस्थान, केरल आदि शहरों एवं राज्यों में पलायन करते थे। तब बिहारी छात्रों के अभिभावक विवश थे, वे कर्ज लेकर अथवा जमीन बेचकर अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अन्य राज्यों में भेजने को मजबूर थे, कारण स्पष्ट था – बिहार में अच्छे शिक्षण संस्थानों की कमी का होना। स्थिति तब और दयनीय हो गई जब बिहार का विभाजन हो गया और झारखंड अलग राज्य बन गया। अब बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य था, जहाँ राष्ट्रीय स्तर का एक भी शिक्षण अथवा तकनीकी संस्थान नहीं था।

लेकिन परिस्थितियाँ बदलीं, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के महत्व को देखते हुए वर्तमान राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में कतिपय ठोस और अभूतपूर्व निर्णय लिये। अलबत्ता यह भी अनुभव किया गया कि बिहार की प्रतिभा को और अधिक निखारने तथा बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित तथा स्थापित करने के लिए प्रदेश में तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार की जरूरत है।

राज्य सरकार ने महसूस किया कि उच्च शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक है कि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की स्थिति में सुधार लाया जाये। सरकार ने निर्णय लिया कि कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों का वेतन भुगतान नियमित रूप से समय पर किया जाये और ऐसा हो भी रहा है। अब प्रत्येक माह की पहली तारीख को शिक्षक एवं कर्मियों को नियमित रूप से वेतन

बी.आई.टी., पटना का निर्माणाधीन भवन

मिलता है। पहले स्थिति यह थी कि उन्हें लगातार पाँच-पाँच या छ:-छ: महीनों तक वेतन नहीं मिलता था, मिलता भी था तो कटौती के साथ, जिसके कारण कभी शिक्षकों की या कभी कर्मियों की हड़ताल के कारण शिक्षा-सत्र का आधा से अधिक समय हड़ताल की भेंट चढ़ जाया करता था। लेकिन आज स्थिति बदल गई है, समय पर वेतन भुगतान हो रहा है, शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का माहौल बन गया है, सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक कैलेंडर बन गया है, जिसका अनुपालन किया जा रहा है। इस सकारात्मक परिवर्तन का श्रेय राज्यपाल-सह-कुलाधिपति की उच्च शिक्षा के प्रति स्पष्ट सोच और राज्य सरकार की संकल्प शक्ति को जाता है।

पटना में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिसमें अध्यापन कार्य भी शुरू हो गया है और साठ-साठ विद्यार्थियों के दो बैच अधययन कर चुके हैं। राष्ट्र के 6 अन्य विधि विश्वविद्यालायों के साथ ही इस संस्थान के लिए कम्बाईड लॉ एडमिशन टेस्ट के अधीन नामांकन की व्यवस्था की गई है। इस संस्थान के भवन निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था करा ली गई है। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को अगले वर्ष 2008-09 के लिए 15 करोड़ रुपये दिये गये हैं।

इधर, राज्य सरकार ने पटना में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान की स्थापना की है। इसके निदेशक की नियुक्ति हो गयी है। जुलाई, 2008 से इसमें पढ़ाई शुरू हो जाएगी, तथा देश के अन्य भारतीय प्रबंधन संस्थान में नामांकन हेतु आयोजित परीक्षा "कैट" के माध्यम से ही इसमें भी नामांकन होगा। यह संस्थान फिलवक्त हिन्दी भवन में कार्यरत है, लेकिन इसके लिए भूमि का अधिग्रहण हो गया है। वर्ष 2008-09 में इस संस्थान को 10 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि पटना स्थित मीठापुर कृषि फार्म की जमीन पर **'हायर एजुकेशन कॉम्पलेक्स'** का निर्माण कराया जाये। इस दिशा में कार्रवाई चल रही है, यह परिकल्पना शीघ्र ही मूर्त रूप लेगी।

शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के प्राचीन गौरव को पुन:स्थापित करने के लिए नालन्दा में 'यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा' की स्थापना की जा रही है। विश्व में युद्ध, आतंक और हिंसा मुक्त समाज के निर्माण पर आधारित शिक्षा के प्रचार-प्रसार के साथ ही व्यापार, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, दर्शन जैसे क्षेत्रों में मजबूत ऐतिहासिक समानताओं से बंधे हुए एशियाई देशों के बीच बृहत् विचार-विमर्श के लिए शोध को बढ़ावा देना इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य है।

आर्यभट्ट प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए **आर्यभट्ट प्रोफेशनल बिल** निर्माण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके माध्यम से बाहर के जो लोग या संस्था बिहार में प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के लिए संस्थान खोलना चाहेगी उन्हें आवश्यक सुविधा देने की व्यवस्था की जाएगी।

शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के प्राचीन गौरव को पुन:स्थापित करने के लिए नालन्दा में 'यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा' की स्थापना की जा रही है। विश्व में युद्ध, आतंक और हिंसा मुक्त समाज के निर्माण पर आधारित शिक्षा के प्रचार-प्रसार के साथ ही व्यापार, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, दर्शन जैसे क्षेत्रों में मजबूत ऐतिहासिक समानताओं से बंधे हुए एशियाई देशों के बीच बृहत् विचार-विमर्श के लिए शोध को बढ़ावा देना इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य है।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं शिक्षाविद् डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम इस विश्वविद्यालय के विजिटर नियुक्त हुए हैं। इसके बोर्ड का गठन हो चुका है। श्री वाई०एस० राजन इसके अध्यक्ष हैं। इसके मेंटर ग्रुप के अध्यक्ष नोबेल पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री अमर्त्यसेन हैं। इधर, मेंटर ग्रुप की दो बैठकें भी हो चुकी हैं। 'यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा' के लिए पाँच सौ एकड़ भूमि का अधिग्रहण हो चुका है तथा पाँच सौ एकड़ जमीन की व्यवस्था की जा रही है।

मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे व्यापक कार्यों में कुछेक की चर्चा करते हुए कहा कि "अब बिहार की उच्च एवं तकनीकी शिक्षा राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार स्थापित करते हुए इस क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने को तैयार है।" इस अभिव्यक्ति के समय उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और कुछ ठोस पहल करने का भाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित था। ❑

अल्पसंख्यक बालिकाओं में शिक्षा

निकहत फातिमा

6-14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना **सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम** का मूल उद्देश्य है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम सभी समुदाय के बच्चों के लिए उपयुक्त विकल्प चुनकर शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों में एक मुख्य उद्देश्य है: **"स्त्री-पुरुष असमानता तथा सामाजिक वर्ग भेद को वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा वर्ष 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करना।"**

दुनिया के किसी भी हिस्से में अपनी पहचाने बनाने के लिए आवश्यक है कि भविष्य के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करायी जाए क्योंकि 21वीं सदी सूचना एवं ज्ञान की सदी है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बिहार में समाज के सभी वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों खासकर बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अनेक विशिष्ट प्रयास किए जा रहे हैं।

मुसलमानों के पवित्र ग्रन्थ की शुरुआत जिस शब्द से होती है वह है ''पढ़ो''! कुरान और हदीस में शिक्षा पर काफी जोर दिया गया है। **कुरान कहता है-"ज्ञान ऐसी बेशकीमती वस्तु है जो किसी को प्राप्त हो जाए तो वह अल्लाह की असीम कृपा है।"** इस्लाम धर्म ने किसी भी सुविधा को किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं रखा है। महिलाओं को भी सभी अधिकार हैं, जैसे-शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, पिता की जमीन-जायदाद में अधिकार आदि।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम अल्पसंख्यक बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयासरत है। अल्पसंख्यक समुदाय की बच्चियों के बीच तालीम को बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की वैसी बच्चियाँ, जो औपचारिक प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर सकीं, प्राथमिक विद्यालय नहीं जातीं हैं तथा बड़ी उम्र की लड़कियां, जो घरेलू कामकाज में व्यस्तता एवं सामाजिक कारण से औपचारिक विद्यालय नहीं जाती हैं, के लिए **अंगना विद्यालय** खोला जा रहा है।

अल्पसंख्यक समुदाय की 8-11 आयुवर्ग की विद्यालय से बाहर की लड़कियों

को एक निर्धारित अवधि के अन्दर उनकी उम्र के अनुकूल दक्षता उपलब्ध कराते हुए **"प्रयास"** केन्द्र द्वारा एवं 6-8 आयुवर्ग की विद्यालय से बाहर की लड़कियों को **"विद्यालय चलो केन्द्र"** के द्वारा मुख्यधारा से जोड़े जाने का प्रयास किया जा रहा है। इधर विद्यालय से बाहर एक विद्यालय में पढ़नेवाले कमजोर अल्पसंख्यक लड़कियों के शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए एक माह का विशेष कार्यक्रम **'समर कैम्प'** चलाया गया जिसके अन्तर्गत काफी अधिक संख्या में लड़कियाँ विद्यालय में नामांकित हुईं। 'समर कैम्प' कार्यक्रम में प्रतिदिन चार घंटे कक्षा चलती थी जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय की सभी लड़कियाँ निश्चित रूप सेससमय उपस्थित हो जाती थीं। इस कार्यक्रम के मोनिटरिंग के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों से बातचीत के क्रम में यह तथ्य उभरकर सामने आया कि बड़ी उम्र होने के बावजूद हम स्कूल की तालीम से महरूम रहे, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हमने सीखा भी।

समर कैम्प कार्यक्रम में सभी लड़कियों को डिजाइनदार रंगीन गतिविधि पर आधारित पुस्तकों के सेट (आओ खेलें, आओ पढ़ें, आओ सोचें, आओ पढ़ते चलें) के साथ कॉपी, पेन्सिल, बॉक्स, कहानी की किताब आदि मुफ्त में दिए गए। लंच के समय प्रतिदिन हर लड़की को अल्पाहार के रूप में बिस्कुट, फल, सिंघाड़ा, मिठाई आदि दिये गये। बहुत सारे अल्पसंख्यक बाहुल्य प्रखंडों में **'संकल्प'** कार्यक्रम के तहत भी विद्यालय से बाहर की बालिकाओं का उनकी उम्र के अनुकूल केन्द्रों के द्वारा या सीधे तौर पर विद्यालय में नामांकन कराया जा रहा है। लगभग 60 अल्पसंख्यक बाहुल्य प्रखंडों में यह कार्यक्रम प्रारंभ है। स्वीकृत अनुदानित मकतब / मदरसा में पढ़नेवाली लड़कियों को मुफ्त में पुस्तकें दी जा रही हैं। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक विकलांग विद्यालय से बाहर एवं विद्यालय में नामांकित लड़कियों के लिए अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जैसे-मुफ्त चिकित्सा जांच, जांचोपरान्त मुफ्त उपकरण मुहैया करना आदि। दरअसल, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ट्राई साइकिल, ह्वील साइकिल, हियेरिंग ऐडस, कैलिपर आदि उपलब्ध कराये जाते हैं। उक्त सुविधा देकर विद्यालय से बाहर की विकलांग लड़कियों का नामांकन विद्यालय में कराया गया है। **एन.पी.ई.जी.एल.** एवं **कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय** के माध्यम से भी अल्पसंख्यक बालिकाओं में तालीम को बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार के कई जिले यथा: दरभंगा, किशनगंज, कटिहार, वैशाली आदि में चल रहे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों का नामांकन अधिक संख्या में हुआ है। उन लड़कियों को शिक्षा से संबंधित सारी सुविधाएं मुहैया की जा रही हैं। बिहार के अल्पसंख्यक बाहुल्य प्रखंडों में भी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय खोले गए हैं। कुछ और खोले जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक अल्पसंख्यक लड़कियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। **एन.पी.ई.जी.एल.** कार्यक्रम के तहत भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए **बालवर्ग** खोले जा रहे हैं। अल्पसंख्यक लड़कियों को खासकर साइकिलिंग, जुडो-कराटे आदि के प्रशिक्षण हेतु **'मीना मंच'** का गठन किया जा रहा है जिसमें एक लड़की नेता का कार्य करती हैं। कई उर्दू मध्य विद्यालयों में **मॉडल क्लस्टर विद्यालय** का भी निर्माण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों में आत्मनिर्भरता बढ़ती है तथा वे किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन में सक्षम होती हैं। सभी उर्दू भाषी स्कूल एवं केन्द्र पर पुस्तकों का वितरण उनकी मातृभाषा में किया जाता है।

अगर गहराई से देखा जाए तो बिहार में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के जरिये अल्पसंख्यक बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, जिनसे वे लाभान्वित भी हो रही हैं। किसी ने सच कहा है-''**एक लड़के की शिक्षा एक आदमी की शिक्षा है, एक लड़की की शिक्षा एक परिवार की शिक्षा है।**'' मां की गोद हर बच्चे के लिए **प्रथम पाठशाला** है। बालिकाओं को शिक्षित करना सभी नागरिकों का कर्त्तव्य है। बालिकाएं कल की एक अच्छी मां, वकील, डॉक्टर, खिलाड़ी, पायलट आदि बन सकती हैं एवं भारत का नाम रौशन कर सकती हैं।

आइए! हम सब मिलकर उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य करें। ❑

अल्पसंख्यक बालिका आंकड़ों में

स्कूल केन्द्र	नामांकित लड़कियों की संख्या
उर्दू मीडियम स्कूल	1,41,899
स्वीकृत अनुदानित मदरसा	44,525
दीनी तालीम	20,607
विद्यालय चलो केन्द्र	3,831
अपना विद्यालय	14,053
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय	1,125
स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित केन्द्रों में लड़कियों की संख्या	4,460

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड

मुश्ताक अहमद नूरी

बिहार सरकार अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। सभी सरकारी स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की बहाली हो रही है। दरअसल, अल्पसंख्यकों के लिए पूरे प्रान्त में मदरसों का जाल बिछा हुआ है। मोटे तौर पर, स्वीकृत एवं अस्वीकृत मदरसों की संख्या चार हजार से ज्यादा है।

अल्पसंख्यकों का मध्य वर्ग खास तौर से मदरसा शिक्षा से जुड़ा है। वहां न केवल धर्म ग्रन्थों की शिक्षा दी जाती है, बल्कि आधुनिक विषयों को भी उनके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। हाफिज, मोलवी, आविका फजिल के अतिरिक्त इस्लामिक फिलोसोफी एवं सिफ़ा (इस्लामिक विधि) की भी शिक्षा कुछ खास मदरसों में दी जाती है। फिका पढ़ने वाले मुफ्ती कहलाते हैं एवं किसी भी विषय में उन्हें ही फतवा देने का अधिकार होता है।

बिहार सरकार अनुदानित मदरसों के शिक्षक पर हर वर्ष करोड़ों की राशि खर्च करती है। वस्तुत: सरकार अल्पसंख्यकों के सभी वर्गों को शिक्षित करना चाहती है, खास कर गरीब बच्चे, जो अन्य स्कूलों में नहीं जा पाते हैं। बिहार के सभी मदरसों की परीक्षा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाती है।

यहां बिहार राज्य मदरसा बोर्ड की चर्चा प्रासंगिक जान पड़ती है, क्योंकि इससे उसकी कार्यशैली को समझने में सहायता मिलेगी। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पूर्व में बिहार मदरसा परीक्षा बोर्ड के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। 1928 में मदरसा शमशुल होदा, पटना की स्थापना के बाद इसका स्वरूप बदला और 1979 में सरकारी ऑर्डिनेन्स के तहत बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया और 1982 में इसे सरकारी एक्ट के मुताबिक मान्यता दी गई, और मदरसा परीक्षा बोर्ड एवं असिस्टेन्ट डायरेक्टर ऑफ इस्लामिक स्टडीज दोनों को बोर्ड में ही मिला दिया गया, और उसके बाद इसमें चेयरमैन और सचिव की नियुक्ति सरकारी स्तर से की जाने लगी।

आज की तिथि में स्वीकृत एवं अनुदानित मदरसों की संख्या 1119 है, जिसमें वस्तानिया (समकक्ष मिडिल) 935 मदरसे, फौकानिया (समकक्ष मैट्रिक) 93 मदरसे, मोलवी (समकक्ष इंटरमिडिएट) 55 मदरसे, आलिम (समकक्ष बी.ए.) 23 मदरसे, फाजिल (समकक्ष एम.ए.)13 मदरसे शामिल हैं।

इन मदरसों में 32 मदरसे ऐसे हैं, जिनमें लड़कियों को शिक्षा दी जाती है। इनके अतिरिक्त 641 और भी ऐसे मदरसे हैं जिनमें लड़कियों को शिक्षा दी जाती है, परन्तु ये मदरसे अभी अनुदानित श्रेणी में नहीं हैं। इनके अतिरिक्त 2459 ऐसे मदरसे हैं, जो अनुदानित तो नहीं है, परन्तु परीक्षा लेने हेतु इन मदरसों का परीक्षा केन्द्र के रूप में उपयोग होता है। इन मदरसों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत जोड़ने की कार्यवाई चल रही है। जितने भी स्वीकृत एवं अनुदानित मदरसे हैं, वे सब **सर्व शिक्षा अभियान** के अन्तर्गत भी कार्य करते हैं। उन्हें 500 रुपये शिक्षक प्रशिक्षण एवं 2000 रुपये मदरसा विकास के लिए सर्व शिक्षा अभियान द्वारा दिया जाता है।

मदरसा शिक्षा बोर्ड का अपना भवन है, और इसका अपना वेबसाइट भी है। इसे

www.biharmadarsaboard.com पर लॉग ऑन किया जा सकता हैं। वर्ष 2002 से प्रायोगिक विषयों की परीक्षा का आयोजन सी.बी.एस.ई. पैटर्न पर किया जा रहा है। पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकें छपने के लिए तैयार हैं। पुस्तकें लड़कियों के बीच मुफ्त वितरित की जाएगी और लड़कों को आधी कीमत पर देने की योजना है। मदरसा के पाठ्यक्रम को रिवाइज करके आधुनिक विषय के समावेश हेतु नया पाठ्यक्रम भी लागू करने की योजना है।

मदरसे की परीक्षा पर अगर नजर डालें तो इस बात का अंदाजा होता है, कि प्रति वर्ष तकरीबन 2300 लड़के आलीग होते हैं, 1800 आलीग ऑनरो, 660 फाजिल, 40000 मौलवी और लगभग 8000 हाफिज परीक्षा पास करते हैं। इनमें लड़कियां भी शामिल होती हैं। इनके तीन वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालने से इस बात का अंदाजा होता है, कि लड़कियों की तादाद लड़कों से ज्यादा होती है।

बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं में विगत वर्षों की स्थिति निम्न प्रकार है:

वर्ष	परीक्षार्थी की संख्या	छात्र	छात्राएँ
2008	275000	105000	170000
2007	250260	107086	143174
2006	118145	55984	62161

इन आंकड़ों से यह बात उभरकर सामने आती है, कि हर वर्ष परीक्षार्थी की संख्या बढ़ती जा रही है एवं मदरसा शिक्षा में लड़कियों की अभिरुचि बढ़ी है, और पास होने वालों में भी उनकी संख्या लड़कों से ज्यादा होती है। यह, दरअसल, लड़कियों की जागरूकता का परिचायक है।

फौकानिया (मैट्रिक) के बाद मदरसा शिक्षा को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। ज्ञान की दोनों शाखाओं में छात्रों की अभिरुचि के अनुरूप रोजगार उन्मुख शिक्षा की व्यवस्था की जाती है।

NCPUL Delhi की मदद से मदरसा इस्लामिया यतीम खाना दिजविया, सीवान, मदरसा हमिदिया किला घाट, दरभंगा, मदरसा इस्लामिया, आदापुर, मदरसा इस्लामिया अहमदिया सल्फीया लहेरियासराय दरभंगा, मदरसा अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी, मदरसा यतीमखाना बदरीया बेतिया में Functional Arabic का दो वर्षीय कोर्स चल रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी कार्य करने की योजना हैं, जिनमें मुख्य इस प्रकार है:

1. मदरसों में एनसीसी और भारत स्काउट एण्ड गाइड लागू करना।
2. मदरसा बोर्ड की अपनी लाइब्रेरी को सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित करना।
3. मदरसा शिक्षा को और आधुनिक बनाने के लिए बिहार के विभिन्न जिलों में मदरसा शिक्षकों को प्रशिक्षण देना।
4. दो वर्ष का व्यावहारिक अरबी डिप्लोमा कोर्स राज्य के छः प्रमुख मदरसों में चल रहा है, अगले वर्ष 50 अतिरिक्त मदरसों में इस स्कीम का विस्तार करना।
5. स्वीकृत 52 मदरसों को कम्प्यूटर शिक्षा देने के लिए कम्प्यूटर युक्त करना।
6. व्यावहारिक उर्दू में दो वर्षों का डिप्लोमा कोर्स चालू करना।
7. बिहार के 38 मदरसों की लाइब्रेरियों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से मुफ्त पुस्तकें उपलब्ध कराना।
8. बिहार के सभी स्वीकृत मदरसों में मदरसा आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत 3 शिक्षकों को विज्ञान, गणित आदि विषय की पढ़ाई के लिए उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी जा चुकी है।
9. मदरसा बोर्ड को आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में बोर्ड के कोष में 13700000 (एक करोड़ सैंतीस लाख) राशि उपलब्ध है, जिसे विभिन्न योजनाओं में खर्च किया जाएगा।

बिहार सरकार अनुदानित मदरसों के शिक्षक पर हर वर्ष करोड़ों की राशि खर्च करती है। वस्तुतः सरकार अल्पसंख्यकों के सभी वर्गों को शिक्षित करना चाहती है, खास कर गरीब बच्चे जो अन्य स्कूलों में नहीं जा पाते हैं। बिहार के सभी मदरसों की परीक्षा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाती है।

अलबत्ता मदरसा बोर्ड की पढ़ाई को आधुनिक शिक्षा के करीब लाने की और भी योजनाएँ हैं, जो सरकार के पास विचाराधीन हैं। मदरसे की यह कोशिश हो रही है, कि इसकी पढ़ाई की मान्यता भारत के प्रत्येक यूनिवर्सिटी में हो। अभी हाल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मदरसा के आलिम को अपनी यूनिवर्सिटी में बी.ए. के समकक्ष मान लिया है, और इस आधार पर वहां लड़के एम.ए. में दाखिल हो सकते हैं।

मदरसा बोर्ड के सारे शिक्षकों का वेतन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिले की मदरसों में किया जाता है। शिक्षक का कनफर्मेशन मदरसा कमेटी की अनुशंसा पर मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है।

पूर्व में जो मदरसे की कार्य प्रणाली थी उसमें काफी हद तक परिवर्तन हो चुका है, और अगले वर्षों में परिवर्तन की यही रफ्तार रही तो बिहार का प्रत्येक मदरसा आधुनिक शिक्षा से लैस होगा, और यहां के बच्चे दूसरे शिक्षा संस्थान के बच्चों का मुकाबला कर सकेंगे। ❑

कार्टून कोना बच्चे और प्रायमिक शिक्षा

राज्य में शिक्षा की योजनाएँ

डॉ० रामबदन बरुआ

मनुष्य जिस विशिष्ट गुण के कारण अन्य प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है, वह शिक्षा ही है। मानव शिक्षा के बल ही राज-समाज में सम्मान पाने और जीवन में आनेवाली जटिलताओं को सहजता से सुलझाने में सफल हो जाता है। मनुष्य के लिए यदि शिक्षा को सर्वस्व कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी। संसार के नामी-गिरामी मनीषियों ने अपनी सफलता के मूलतंत्र स्वरूप शिक्षा को ही मुख्य आधार बताया है। शिक्षा यदि सार्थक एवं सामूहिक हित में हो तो निज-कल्याण सहित समाज-कल्याण के बंद द्वार भी तत्क्षण खुल जाते हैं। दरअसल सही मायने में शिक्षा का व्यापक उद्देश्य यही है।

प्रत्येक व्यक्ति की प्रबल इच्छा होती है कि वह स्वयं प्रतिभाशाली हो और उसकी संतति भी प्रतिभा सम्पन्न हो। इस आधुनिक एवं तकनीकी युग में यह और भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि जबतक आदमी 'जिनियस' नहीं होगा तबतक वह विविध क्षेत्रों में अमिट छाप छोड़ने में समर्थ नहीं हो पाएगा। दरअसल सही शिक्षा के लिए मेहनती और लगनशील छात्र एवं शिक्षण कला में समर्पित शिक्षक का होना आवश्यक है। ऐसी व्यवस्था से राज्य व समाज दोनों में समृद्धि आती है।

वर्तमान सरकार ने इसी अवधारणा के तहत गांव-टोले से लेकर शहर तक के प्राथमिक एवं उच्च विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा के सुधार हेतु कई नए कार्यक्रमों की शुरुआत की है, ताकि राज्य के प्रतिभा सम्पन्न विद्यार्थियों को सही ज्ञान सहित उचित शिक्षा व जीवन जीने की सही दीक्षा प्राप्त हो सके।

राज्य सरकार ने राज्य के शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से कई नयी महत्वाकांक्षी योजनाएँ प्रारंभ की है। राज्य में बड़े

पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के माध्यम से की गयी है। इसके साथ ही कम आबादी वाले टोलों पर भी स्कूल की स्वीकृति प्रदान करते हुए स्कूल भवनों के निर्माण की सारी बाधाओं को दूर कर नवनिर्माण कराया जा रहा है।

राज्य में पहली बार स्कूल जानेवाली बच्चियों को पोशाक और स्कूल जाने हेतु साइकिल के लिए क्रमशः 700 एवं 2000 रु० देने की व्यवस्था की गयी है। सभी बच्चियों तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चियों को पाठ्यपुस्तकों की निःशुल्क आपूर्ति की गयी है। उक्त कार्यक्रम न सिर्फ अपने आप में अनूठा है वरन देश में अकेला है। अल्पसंख्यक समुदाय के सभी बच्चों को भी यह सुविधा मुहैया करायी जा रही है। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में चारदीवारी निर्माण और खेलकूद सामाग्रियाँ सहित शौचालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। विद्यालयों में विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर अतिरिक्त कमरों का निर्माण और बच्चों के बौद्धिक विकास हेतु शिक्षण- परिभ्रमण की व्यवस्था की गयी है। राज्य में शैक्षिक वातावरण के विकास के लिए 'मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गयी है। उच्च विद्यालयों में प्रायोगिक कक्षाओं के लिए उपकरण एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों हेतु राशि की स्थायी रूप से व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गयी है।

राज्य में पहली बार अल्पसंख्यक समुदाय के मैट्रिक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होनेवाले सभी छात्र-छात्राओं को 10 हजार रु० की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। अल्प संख्यक समुदाय के सभी छात्र-छात्राओं को प्रारंभिक विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराने सहित गरीब छात्र-छात्राओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा हेतु निः शुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी सरकार द्वारा लागू की गयी है।

प्रारंभिक विद्यालयों में सर्वाधिक नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित करनेवाले प्रखंडों को प्रतिवर्ष 'मुख्यमंत्री समग्र शिक्षा पुरस्कार' देने की योजना को क्रियान्वित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुलकलाम आजाद के जन्म दिवस 11 नवम्बर को प्रतिवर्ष 'शिक्षा दिवस'

के रूप में मनाने का निर्णय भी राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजनान्तर्गत मध्य विद्यालयों में नामांकित वर्ग-6 से वर्ग-8 की छात्राओं के लिए पोशाक तथा 9 वीं कक्षा में अध्ययनरत सभी स्कूल की छात्राओं को साइकिल उपलब्ध कराया गया है। परिणामत: राज्य के छात्र-छात्राओं में नये उत्साह का संचार हुआ है।

राज्य में नयी शिक्षा संस्कृति के विकास तथा नए दौर में कदम से कदम मिलाकर विश्व स्तरीय तकनीकी शिक्षा के साथ चलने हेतु राज्य सरकार द्वारा नये-नये महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को खोलने का निर्णय लिया गया है। बिहार विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम-2007 तथा विश्वस्तरीय नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम-2007 जैसे प्रमुख नये कानून सहित बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम-2006 का गठन किया गया है। राज्य में विधि शिक्षा को स्तरीय बनाने के उद्देश्य से चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय तथा राज्य में कृषि तकनीक सहित डेयरी प्रोजेक्ट को बढ़ावा हेतु नए विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

विद्यालयी शिक्षा में समानता एवं सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समान स्कूल शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, जिसकी अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है। राज्य में पूर्व से लागू पाठ्यक्रमों में बदलाव करते हुए उसे केन्द्रीय पैटर्न के समान बनाया गया है। शिक्षकों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से 2 लाख 11 हजार प्राथमिक, 7575 शारीरिक, 11458 उर्दू एवं 10,000 माध्यमिक और 500 उच्च माध्यमिक शिक्षकों सहित कुल 3,11852 नयी नियुक्तियां की गयी है। दूसरे चरण की बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें 1 लाख 16 हजार शिक्षकों को नियुक्त करने का लक्ष्य है। नि:शक्त बालक-बालिकाओं के शिक्षा प्रबंध सहित उनके लिए संचालित छात्रवृत्ति योजना को संशोधित करते हुए छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि की गयी है। नि:शक्त जनों की आयु में 10 वर्षों की छूट दी गयी है।

राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग को शिक्षा के माध्यम से समृद्ध कर मुख्यधारा से जोड़ने हेतु उनकी छात्रवृति में 150 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उनके लिए संचालित आवासीय विद्यालयों में दी जा रही सुविधाओं में लगभग दोगुनी वृद्धि की गयी है। अल्प संख्यक समुदाय के मुस्लिम युवतियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण की सुविधा दी गई है। राज्य के सभी 38 जिलों में नए छात्रवासों का निर्माण कराया जा रहा है।

राज्य के अनुसूचित जाति के बालक-बालिकाओं के लिए 248 आसन वाले आवासीय उच्चविद्यालय का निर्माण कार्य त्वरित गति से कराया जा रहा है। कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय को संचालित किया जा रहा है। आवासीय विद्यालयों के बेहतर प्रबंधन हेतु माननीय विधान सभा सदस्यों को विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इसके साथ ही बिखरे हुए ग्रामीण शिक्षा समितियों का पुनर्गठन किया गया है। अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति में लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तक सुलभ कराया जा रहा है।

बाल-विकास परियोजना के तहत 20049 आँगनबाड़ी केन्द्रों को क्रियाशील किया गया है तथा इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए सेविकाओं और सहायिकाओं की नियुक्ति कर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार द्वारा की गयी है। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कायम की गयी है। राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालयों में छात्राओं के सशक्तीकरण हेतु 'मीनामंच' का गठन किया गया है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 15521 नए प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं और 6928 प्राथमिक विद्यालयों को मध्यविद्यालय के रूप में उत्क्रमित किया गया है। 250 माध्यामिक विद्यालयों और 250 प्रोजेक्ट कन्या विद्यालयों को प्लस-टू विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है। आज शिक्षा पर राज्य सरकार द्वारा कुल बजट का 17-18 फीसदी खर्च किया जा रहा है।

राज्य में राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय चाणक्य विधि विश्वविद्यालय और चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान की स्थापना हुई है तथा आर्यभट्ट विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु त्वरित कार्रवाई की जा रही है। कम्प्यूटर एवं तकनीकी शिक्षा से छात्रों को जोड़ने के उद्देश्य से कम्प्यूटर का डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत की गयी है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के विकास एवं गुणात्मक सुधार हेतु उठाये गए कदमों के परिणामस्वरूप कई इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए निजी क्षेत्रों के लोग भी आगे आए हैं। राज्य के प्रमुख तकनीकी संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में विश्व भर की मल्टीनेशनल कम्पनियाँ कैम्पस सेलेक्शन हेतु आने लगी हैं। बी आई टी, मेसरा का शाखा पटना में कार्यरत है। राज्य में शिक्षा का नया माहौल और वातावरण तैयार हुआ है। होटल प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, वाणिज्य, प्रबंधन, पर्यटन, फैशन टेक्नोलॉजी, चार्टर्ड एकाउंटेंसी एवं डेयरी जैसे आधुनिक विषयों की पढ़ाई हेतु राज्य सरकार न सिर्फ संवेदनशील है वरन् ऐसे अन्य डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स के पठन-पाठन के लिए प्रयत्नशील है, जो सुनहरे भविष्य का परिचायक है। ❑

'उमंग' में उत्साह

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा 'उमंग' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार द्वारा 'महिला शक्ति अभियान' के अंतर्गत 08-09 मार्च को राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि -राज्य की आधी आबादी महिलाओं की है। सो, उनके शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में उत्थान के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्पित है तथा प्रतिबद्ध प्रयास कर रही है।

श्री कुमार ने महिलाओं के शैक्षणिक विकास के लिए किए जा रहे सरकार के समग्र प्रयासों के बाबत बताया कि पोशाक योजना तथा साइकिल योजना के लागू किये जाने से विद्यालयों में छात्राओं की संख्या बढ़ रही है। सामाजिक तथा राजनीति के विकास के तहत देश में पहली, बिहार में ही पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने से योजना -विमर्श तथा निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।

आर्थिक क्षेत्र में सरकार ने सर्वथा नई पहल करते हुए कन्या सुरक्षा योजना लागू की है, जिसके तहत कन्या -जन्म के अवसर पर 2000 रुपये की राशि उसके खाते में जमा कर दी जाएगी, जो उसके बालिका होने पर परिपक्वता राशि के रूप में एकमुश्त उपलब्ध करा दी जायगी। इसके अलावा कन्या विवाह योजना के तहत 60000 रुपये से कम आय वाले परिवार की कन्या को विवाह के अवसर पर एकमुश्त 5000 रु० राशि प्रदान कर दी जायगी।

श्री कुमार ने सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान तथा तदनुसार राज्य के विकास की परिकल्पना के तहत सरकार के अनगिनत कार्यक्रमों के संदर्भ पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नवीं कक्षा में प्रवेश करने वाली छात्राओं को साइकिल- आपूर्त्ति की योजना के तहत उन्हें 2000 रुपये की राशि दी जाएगी, जिससे एक संग छात्राएं जब साइकिल सवारी करते हुए विद्यालय जाएंगी तो उनमें सामूहिकता की वजह से सुरक्षा भाव तथा आत्मविश्वास की भी वृद्धि होगी।

श्री कुमार ने महिलाओं को अधिकाधिक संख्या में स्वयं सहायता समूह के गठन कर आर्थिक स्वावलम्बन हेतु प्रेरित किया । उन्होंने राज्य के विकास हेतु सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विशेष कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि समावेशी विकास तभी होगा, जब हाशिये पर जी रहे व्यक्ति को संग लेकर विकास के स्वप्न देखे जाएंगे। श्री कुमार ने इसके लिए केन्द्र को भी विशेष कार्यक्रम तथा योजनाएँ बनाने का संदेश दिया। उक्त कार्यक्रम के अवसर पर शिक्षा मंत्री वृषिण पटेल ने सरकार द्वारा राज्य की 9 करोड़ आबादी अर्थात 18 करोड़ हाथों को काम देकर सजाने - संवारने की प्रतिबद्धता की बात कही। इसके पूर्व कल्याण मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री ने भी नारी सशक्तिकरण से सामाजिक उत्थान तथा विकास की बात पर जोर दिया। इस सम्मेलन में बिहार के सभी जिलों के ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के 500 से अधिक महिला जन प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तीन सत्रों की गहन चर्चा के बाद 'उमंग पत्र' के प्रारूप को अँतिम रूप दिया गया। इस 'मांग पत्र' को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग द्वारा प्रकाशित स्मारिका 'शक्ति स्वरूपा' का भी विमोचन किया।

पहले सत्र में प्रशिक्षण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के विषय पर चर्चा की गई। इस सत्र की अध्यक्षता, जिला परिषद् अध्यक्ष, अररिया, सगुफ्ता अजीम ने की। दूसरे सत्र की अध्यक्षता जिला परिषद् अध्यक्ष श्रीमती स्वीटी सिंह ने की।

तीसरे और अँतिम सत्र में सामाजिक एवं

कानूनी प्रावधानों पर चर्चा की गई। उसके पैनल में शीला सिंह, कांति देवी जिलाध्यक्ष ने भाग लिया। 9 मार्च, 2008 को खुला सत्र रखा गया, जिसमें महिला जन प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं मंच के सम्मुख रखा। इस सत्र की अध्यक्षता रोहतास जिला परिषद् श्रीमती शीला सिंह ने की। इस सत्र में मुख्य सचिव, बिहार सरकार ने भी भाग लिया और महिला जन प्रतिनिधियों की समस्याएं सुनीं और उस पर अपने विचार व्यक्त किये। सत्र का उद्देश्य सरकार और पंचायत के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। अनुभवों के आदान-प्रदान से इसे समझने का अवसर मिला। मुख्य सचिव ने भी इस सत्र में अपने उद्गार व्यक्त किये। इस कार्यक्रम में 'प्रिया' ने पंचायती राज विभाग को कार्यक्रम समन्वय एवं संचालन में मदद की।

राज्यपाल आर०एस०गवई ने उमंग उत्सव के समापन समारोह में कहा कि - बिहार में विकास के साथ उमंग और उत्साह का वातावरण बना है तथा बच्चों एवं महिलाओं में जागरूकता आयी है। उन्होंने इस अवसर पर राज्य में पंचायतों में महिला आरक्षण, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, बच्चों के निःशुल्क पुस्तक वितरण, बालिका पोशाक और साइकिल वितरण का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी योजनाएँ भविष्य में प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगी। उन्होंने कहा कि आज बिहार ऐसे प्रदेश के रूप में उभरा है, जिसकी कई योजनाओं का अनुसरण अन्य राज्य कर रहे हैं।

इस अवसर पर विधान परिषद् के सभापति प्रो० अरुण कुमार ने कहा कि महिला जागरण को आन्दोलन का रूप देना होगा, तभी इसका फलाफल सामने आयेगा। विधान सभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा कि बिहार में महिलाओं को अधिकार मिला है, उनमें जागृति आई है और अब बिहार का विकास होकर रहेगा। मानव संसाधन मंत्री वृषिण पटेल ने समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि विकास और खुशहाल जीवन के लिए उमंग आ गया है तथा राज्य प्रगति पर चल पड़ा है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की सदस्या श्रीमती संध्या बजाज ने इस अवसर पर कहा कि बिहार में सकारात्मक बदलाव आया है। राज्य में बाल संरक्षण आयोग का गठन किया जाना चाहिए।

मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह तथा बिहार शिक्षा परियोजना के राज्य परियोजना निदेशक राजेश भूषण ने भी समारोह को सम्बोधित किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए बच्चों को पुरस्कृत किया। ❑

अल्पसंख्यकों के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु प्रयास तेज

राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु व्यापक प्रयास कर रही है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम से प्राप्त सूचनानुसार अल्पसंख्यक समुदाय के 1805 बेरोजगारों को 6 प्रतिशत की साधारण ब्याज दर पर 11.42 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जबकि 130 बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार हेतु आसान किस्तों पर उक्त ब्याज दर पर ही 176.30 लाख रुपये की परिसम्पत्ति के रूप में 'ऑटो रिक्शा' दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अल्पसंख्यक समुदाय के 300 बेरोजगार युवाओं एवं युवतियों को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु टी०वी० रिपेयरिंग, गुड़िया निर्माण, जड़ी निर्माण, सिलाई-कढ़ाई, कशीदाकारी इत्यादि ट्रेडों में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाने के मद में 25.00 लाख रुपये व्यय किए गए हैं। अल्पसंख्यक 90 छात्र/छात्राओं को आसन शर्तों एवं न्यूनतम 3 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 50.85 लाख रुपये का ऋण दिया गया है। राज्य के 151 पेशेवर अल्पसंख्यकों को 'माइक्रोफाइनेन्सिंग' योजना के तहत 'एस०एच०जी०' के जरिये बाँसुरी, जड़ी निर्माण एवं रिक्शा/ठेला व्यवसाय में 14.89 लाख रु० का ऋण दिया गया है। 100 मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु 10 हजार रु० सहित प्रति छात्र का 10 हजार रुपये की दर से 15.00 लाख रु० व्यय कर कोचिंग दिलायी गई है। 10 हजार रु० प्रति छात्र/छात्रा की दर से 250 छात्र/छात्राओं को 25.00 लाख रुपये छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान किए गए हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वार अनुमोदित "वार्षिक कार्य योजना" के आलोक में 'टर्म लोन' योजना के तहत 1463 अल्पसंख्यकों हेतु 5.85 करोड़ रु०, शैक्षणिक ऋण के रूप में 163 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 65.00 लाख रु० तथा 'माइक्रोफाइनेन्सिंग' योजना के तहत 500 लाभार्थियों को 50.00 लाख रु० तथा राज्य के अल्पसंख्यक बहुल जिलों के 600 अल्पसंख्यकों को 3.00 करोड़ रुपये अर्थात् कुल 2726 अल्पसंख्यकों को लाभान्वित करने हेतु कुल 10.00 करोड़ रुपये व्यय करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है। ❑

'रंगरेजों के रोजगार के लिए सरकार तत्पर'-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय नृत्य कला मंदिर में 'रंगरेज वंचित मुस्लिम बेदारी कान्फ्रेंस' का उदघाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबी मिटाने के लिए सरकार तत्पर है। उन्होंने कहा कि बिहार गरीब प्रदेश है और बिहार से गरीबी मिटी नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने एवं अलग-अलग पेशे में लगे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ठोस कार्यक्रम चला रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बुनकर और रंगरेज दोनों को जब काम मिलता है, तब हम कपड़े का उपयोग करते है। रंगरेज धागों एवं कपड़ों को रंगता है तथा उन्हें खुबसूरती प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के आने से रंगरेजों की आर्थिक स्थिति दयनीय हुई है क्योंकि जो काम हाथ से होता था, वह अब मशीन से होने लगा है। उन्होंने कहा कि परंपरागत काम की अपनी विशिष्टता है। परंपरागत हुनर का मुकाबला मशीन नहीं कर सकता। रंगरेजों की जो परंपरागत कला है, वह मिटेगी नहीं। इन उंगलियों में जो हुनर है, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मशीन से निकली हुई चीजें बेजान लगती हैं, जबकि हाथों से किये हुए कार्य जानदार होते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रंगरेजों ने जागरण मंच के द्वारा रोजगार में वृद्धि एवं आमदनी के स्रोत को बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिया गया है। इसके लिए विधानसभा के सत्र समाप्त होने के बाद अप्रैल के दूसरे सप्ताह में हम रंगरेज वंचित मुस्लिम बेदारी के सात सदस्यीय प्रतिनिधियों एवं बिहार सरकार के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें मिल-बैठकर इस पेशे से जुड़े हुए लोगों के रोजगार एवं आमदनी बढ़ाये जाने के लिए ठोस कार्यक्रम बनाया जायेगा। इस बैठक में वैसे लोग भी शामिल होंगे, जो इस पेशे से संबंधित जानकारी रखते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रंगरेजों द्वारा यह माँग की गयी है कि उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाय। मैं इसका पक्षधर हूँ। हिन्दू, मुस्लिम एवं ईसाई धर्म में जो दलित हैं, उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना ही चाहिए। इसके लिए केन्द्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। धर्म बदलने से जाति नहीं बदल जाति है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना दलित हिन्दू, मुस्लिम एवं ईसाइयों का हक है, उन्हें यह मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि विकास की बुनियादी शर्त है- पारस्परिक प्रेम, भाईचारा और शाँति। उन्होंने बिहार के तीव्र विकास हेतु हर हाल में पारस्परिक प्रेम और अमन-चैन बनाये रखने की अपील की। इसके लिए समाज के सभी वर्गों के लोगों में उत्साह एवं उमंग होना चाहिए। लोगों की मिहनत, उत्साह एवं उमंग से नया बिहार बनेगा, जहाँ बिहारी कहलाना अपमान नहीं बल्कि शान की बात होगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा ऑल इंडिया रंगरेज जागरण मंच के अध्यक्ष मो० मुस्तकीम अख्तर, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नौशाद अहमद, इदरीसिया दर्जी फेडरेशन के अध्यक्ष अली इमाम भारती, रजी अहमद सिद्‌दीकी, नवाब अहमद, नेहालुद्‌दीन, आफताब, नसीम अख्तर तथा फिरोज अख्तर ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किये। सभा की अध्यक्षता ऑल इंडिया रंगरेज जागरण मंच के अध्यक्ष मो० मुस्तकीम अख्तर ने की, जबकि मंच संचालन जफर सिद्‌दीकी ने किया। ❑

राज्य के पत्रकारों की सुविधा बढ़ेगी -अर्जुन राय

सूचना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राय ने गत दिनों राज्य के प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के लिए सुविधा बढ़ाने की पहल के प्रस्ताव विषयक बैठक में कहा कि राज्य के पत्रकारों की सुविधा बढ़ाई जायेगी। उक्त बैठक उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की मीडिया प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करते हुए श्री राय ने पत्रकारों द्वारा समर्पित भाव से किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए सरकार द्वारा उनके आपत्तिकाल में आर्थिक संरक्षण सहित अन्य सुविधाएँ बढ़ाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की बात कही। श्री राय ने प्रखंड स्तर तक के पत्रकारों को एक समान सुविधा मुहैया कराने हेतु कल्याण कोष को समृद्ध करने की बात भी कही। पत्रकारों के लिए **पेंशन योजना, बीमा योजना, प्रेस प्रमाण-पत्र** प्रदान करने में उदारीकरण के संबंध में उन्होंने अन्य राज्यों में एतद् विषयक संचालित योजनाओं की समीक्षा कर बिहार में भी उन्हें लागू करने हेतु विस्तृत प्रस्ताव बढ़ाने का निदेश सूचना सचिव को दिया।

पत्रकारों के लिए रेलवे कूपन की तर्ज पर आकस्मिक परिस्थितियों में रियायती दरों को **एयर-कूपन** निर्गत करने के प्रस्ताव पर श्री राय ने विभागीय पदाधिकारियों को संबंधित विभाग से सम्पर्क कर प्रस्ताव देने का भी निदेश दिया। ❑

बिहार पुलिस भवनों का होगा कायाकल्प

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा, शेखपुरा, औरंगाबाद, नालंदा, लखीसराय, वैशाली, सीतामढ़ी, गोपालगंज, मुंगेर, पूर्णिया, जमुई, भागलपुर, दरभंगा, बक्सर, नवगछिया, सीतामढ़ी आदि जिलों में कुल 96.86 लाख रुपये की लागत से 25 थाना भवनों/कार्यालय भवनों/ शस्त्रागारों/ चहारदीवारियों/ पुलिस बैरकों/ आवासीय भवनों आदि का निर्माण कराया जा रहा है। ❑

दक्षिणी बिहार के 17 जिलों में आहर-पइनों के आधुनिकीकरण हेतु योजना-प्रस्ताव तैयार

राज्य में आहर-पइनों के ''व्यापक पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण'' हेतु दक्षिण बिहार के 17 जिलों में अवस्थित लगभग 20,000 आहर-पइनों की व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए विभाग एक 'योजना-प्रस्ताव' तैयार करने में जुटा हुआ है। वर्ष 2008-09 तक, इनमें से लगभग 300 आहर-पइनों के व्यापक पुनरुद्धार एवं पुनर्स्थापन की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य योजना के अन्तर्गत इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु विभाग आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। ❑

अस्पतालों में अलग-अलग रंगों वाली चादरों का होगा इस्तेमाल

राज्य के अस्पतालों को अव्वल बनाने की दिशा में सरकार के निरंतर गंभीर प्रयास हो रहे हैं। इस क्रम में अस्पतालों में स्वच्छ एवं एकरूप चादरों के इस्तेमाल हेतु व्यापक प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, चादरों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु हैंडलूम/पावरलूम/खादी निगम के संचालकों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।

ज्ञातव्य है कि अस्पतालों में चादरों को नित्य प्रति बदलना साफ-सफाई एवं रख-रखाव के संदर्भ में अहम् दायित्व है। इस व्यवस्था को मजबूती से लागू करने की दिशा में सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए इन्द्रधनुष के सात रंगों की तरह रंगों का निर्धारण कर दिया गया है। तद्नुसार रविवार को बैंगनी, सोमवार को नीला, मंगलवार को आसमानी, बुधवार को हरा, गुरूवार को पीला, शुक्रवार को नारंगी तथा शनिवार को लाल रंग के बार्डर वाली चादर बिछायी जायेगी।

उल्लेखनीय है कि नियत दिन के लिए नियत रंग वाली चादर बिछाने के निदेशानुसार चाहें तो पूरी चादर उसी हल्के रंग में रहेगी अथवा उस नियत रंग वाले बॉर्डर वाली सफेद चादर उपलब्ध कराई जाएगी। ❑

भोजपुर : विकास के आईने में

विकास एक अनुभूति है, जिसे महसूस किया जा सकता है। विकसित होने की प्रक्रिया स्वयं में एक सुखद आत्मानुभूति है। एम्बुलेंस में सवार एक रोगी का बिना हिचकोले खाये जगदीशपुर से आरा पहुँचना एक सुखद एहसास ही हो सकता है। इसे तराजू के बटखरे से तौला नहीं जा सकता। यदि दशहरा के अवसर पर रात भर आरा की सडकों पर लोग अपने परिवार के साथ चहलकदमी करते नजर आते हैं तो इसे लोगों का कानून के प्रति बढ़ता विश्वास ही कहा जा सकता है। इस विश्वास व आस्था के साथ गुणा-भाग करना बेमानी होगा।

आँकड़ों के आईने में भोजपुर जिले को देखने पर इस विश्वास को और बल मिलता है। अपराध नियंत्रण एवं विधि-व्यवस्था के क्षेत्र में जिलो को उल्लेखनीय सफलता मिली है। वर्ष 2007 में 3025 कांडों में 4483 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। स्पीडी ट्रायल के तहत 95 महत्वपूर्ण कांडों में 186 व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा सजा दिलाई गई है। विशेष लंबित कांडों का आँकड़ा 1700 से घटकर 1000 आ गया है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के शिविरों के अनेक आयोजन किये गये हैं।

भोजपुर जिला ने शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष रूप से प्रगति की है। 2080 शिक्षकों का नियोजन किया जा चुका है। मध्याह्न भोजन योजना के अनुश्रवण हेतु 16 साधनसेवियों तथा विकलांग वच्चों को समुचित शिक्षा प्रदान करने हेतु 13 परिभ्रामी शिक्षकों का भी नियोजन किया गया । जिले में 255 नये विधालय खोले गये। 600 विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण किया जा चुका है और 841 विद्यालयों में उक्त कार्य जारी है। विद्यालयों में बच्चों को शैक्षिक परिभ्रमण का कार्य जारी है। बालिका पोशाक योजना के तहत 10,000 बच्चियों को लाभान्वित कराया जा चुका है। सम विकास योजना के तहत 80 विद्यालयों में भवन निर्माण का पूर्ण कराया जा चुका है तथा शेष 25 विद्यालयों में निर्माण कार्य जारी है। भोजपुर जिले के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में वर्ष 2005-06 में कुल 4,22,400 बच्चे नार्मांकित थे, जबकि वर्ष 2007-08 में लगभग 5,08,149 बच्चे नामांकन के पश्चात् विद्यालयों में अध्ययनरत है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार द्वारा चालू सभी योजनाओं को जिला में कार्यान्वित किया जा रहा है। सदर अस्पताल आरा सहित सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर 24 घन्टे जेनरेटर की सुविध उपलब्ध है, अनवरत साफ-सफाई का कार्य जारी है तथा पैथोलॉजी इकाई एवं एक्स-रे सेन्टर की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त सदर अस्पताल, आरा में अन्य आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त मुफ्त दन्त चिकित्सक एवं नेत्र चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। 82 प्रकार की दवाओं का मुफ्त वितरण किया जा रहा है।

भोजपुर जिला में जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में पहली बार 39 आर्सेनिक प्रभावित गाँवों के लिए गंगा से पानी लेकर शुद्धिकरण के पश्चात् जलापूर्ति योजना का शुभारम्भ 53.90 करोड़ रुपये की लगत से किया। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत दो वर्षो में करीब 700 विद्यालयों में शौचालय का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा 394 विद्यालयों में कार्य प्रगति पर है। 8000 बी0पी0एल0 परिवारों के यहाँ शौचालय निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। रानीसागर ग्राम पंचायत को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा निर्मल ग्राम पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना, शहरी जलापूर्ति योजना, हस्तचालित नलकूपों का निर्माण तथा अस्पतालों में जलापूर्त्ति का कार्य प्रगति पर है।

नगर विकास के क्षेत्र में स्वर्ण जयन्ती योजना तथा गंदी बस्ती योजना के तहत 24-24 योजनाएँ ली गई तथा सभी योजनाओं को पूरा कर लिया गया । हुडकों द्वारा आरा नगर का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है।

राष्ट्रीय सम विकास योजना में राज्य स्तरीय रैंकिंग में भोजपुर का स्थान दूसरा है। इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना एवं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन संतोषजनक है। जिला में पथ निर्माण कार्य प्रगति पर है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सहित छात्रवृत्ति योजना तथा समेकित बाल विकास योजना के अलावा सरकार द्वारा चलायी जा रही सभी योजनाओं का क्रियान्वयन जारी है।

ये आँकड़े विकास की सुखद अनुभूति के साथ और कानून के प्रति आस्था को बढ़ाने में कामयाब होते हैं। विकास के विभिन्न आयामों से संबंधित इन आँकड़ों राज्य का शीर्ष नेतृत्व और वरीय पदाधिकारियों का उचित मार्गदर्शन, भोजपुर की जनता का अपार सहयोग, जन प्रतिनिधियों की सकारात्मक सहभागिता, सहकर्मियों की कड़ी मेहनत और खम्भा की सम्येक दृष्टि का परिचायक है।

कुछ ऐसे पहलू भी हैं, जिन्हें आँकड़ों में समाहित नहीं किया जा सकता है। ' जनता के दरबार में कार्यक्रम के जरिए जनता जर्नादन और प्रशासन के बीच वर्षो से खड़ी दीवार का ध्वस्त होना, साईकिल पर चढकर गाँवों की बालिकाओं द्वारा वर्षो पुरानी दकियानूसी परम्पराओं को परित्याग करना पंचायती राज संस्थाओं के जरिए महिलाओं की बढी हुई भागीदारी के कारण महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में मूक क्रांति का सूत्रपात का होना इत्यादि निश्चय ही सिर्फ भोजपुर ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार के स्वर्णिम भविष्य की सफल कहानी कहने में निश्चय ही कामयाब साबित होंगे जोरदार दस्तक साबित होंगे। ❑

जिला पदाधिकारी,
भोजपुर, आरा।

जिले की चिट्ठी

नालंदा : पथ प्रमंडल बिहारशरीफ के अन्तर्गत 11 सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण पर कुल 2354.164 लाख रुपये की राशि व्यय होने की संभावना है।

बेगूसराय: जल संसाधन विभाग विभिन्न जमीदारी बाँधो के पुनर्स्थापन-कार्य हेतु बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल बेगूसराय के अधीन, 8 जमींदारी बाँधों के पुनर्स्थापन कार्य पर, 764.50 लाख रुपये व्यय करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा इस जिलान्तर्गत विभिन्न सरकारी भवनों में स्वच्छता-अधिष्ठापन तथा जलापूर्त्ति-स्थल विकास आदि कार्यो पर 64.00 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

पूर्णिया: पथ प्रमंडल पूर्णिया के अधीन, मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत् आर०सी०सी०कल्भर्ट निर्माण एवं काऊज-वे निर्माण से सम्बन्धित आठ योजनाओं पर लगभग 186 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

दरभंगा: दरभंगा जिलान्तर्गत दो पथों में दो पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। ग्रामीण कार्य विभाग के दरभंगा प्रमंडल से प्राप्त सूचना के अनुसार, बाजितपुर से माउवेहट जानेवाली सड़क तथा लहेरियासराय से अन्दामा पथ में पुल निर्माण की दो योजनाओं पर क्रमश: 15.14 लाख एवं 21.886 लाख रुपये व्यय किये जा रहे हैं।

सहरसा: पथ प्रमण्डल सहरसा के अधीन आलमनगर मालीचौक भाया-बुद्धमा पथ में 17वें कि०मी० से 24वें० कि०मी० तथा 25 अंश तक में क्रॉस-ड्रेजेज कार्य सहित पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पर 830.00 लाख रुपये व्यय किए जायेंगे। इसी तरह, एन०एम० 107 रंगीनिया से सोनवर्षा भाया-बनमा ढाला पथ के कि०मी०1, 2, अंश, 6 अंश 7 से 15 एवं 16 अंश में क्रॉस ड्रेनेज कार्य सहित पथ के आई०आर०क्यू०पी०पर भी 675.00 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

समस्तीपुर: 'मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना' के अन्तर्गत, ग्रामीण कार्य प्रमंडल समस्तीपुर के अधीन, दस पुल-पुलिया निर्माण की योजनाओं पर कुल 218.737 लाख रुपये व्यय किए जा रहे हैं।

पटना: जिलान्तर्गत, खगौल-नौबतपुर, भाया शिवाला पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण की एक योजना स्वीकृत की गई है। योजनान्तर्गत, क्रॉस-ड्रेनेज एवं सरफेस-ड्रेनेज निर्माण का कार्य भी शामिल किया है।

भभुआ: ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, भमुआ(कैमूर) से प्राप्त सूचनानुसार, भभुआ शहरी क्षेत्र में 50 शैय्यावाले महिला छात्रावास के निर्माण की एक योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।

उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन पर, 44 लाख 40 हजार 145 रुपये की अनुमानित राशि व्यय की जायेगी।

कटिहार: पथ प्रमंडल कटिहार के अधीन शिवगंज-कुर्सेल-शालमारी-आबादपुर पथ में, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण की एक योजना पर 70 लाख रुपये की राशि व्यय की जा रही है।

जहानाबाद: जहानाबाद जिले में 'राष्ट्रीय सम विकास योजना' के तहत् पर्वत विकास, चोपाल एवं पार्किंग निर्माण की योजनाओं पर 52.62 लाख खर्च होंगे।

नवादा : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीन यांत्रिक प्रमंडल, गया के अन्तर्गत विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के विभिन्न क्षमता के कन्ट्रोल पैनल एवं एच०टी० लाईन के कनेक्शन एवं डी०पी० स्ट्रक्चर के साथ, 25 के०भी०ए० के ट्रान्सफॉर्मर का आपूर्ति अधिष्ठापन एवं कमीशनिंग कार्य कराया जा रहा है। ❑

अब मोईन-उल-हक स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय खेल संभव

मोइन-उल-हक स्टेडियम, पटना को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मैचों के आयोजन के योग्य बनाने संबंधी जारी तैयारियाँ लगभग पूरी हो गई है। यह जानकारी देते हुए सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग श्री विवेक कुमार सिंह ने बताया कि स्टेडियम की अन्यान्य तैयारियों के बाद ग्राउंड में उच्चस्तरीय घास लगाने का काम मात्र शेष है, जिसके लिए भवन निर्माण विभाग को अनुरोध किया गया हैं। उन्होंने बताया कि निर्माण-कार्य के पश्चात् इसका रख-रखाव भी जरूरी है। इसके लिए अंतराष्ट्रीय स्तर के उपकरणों के संस्थापन संबंधी निर्णय के आलोक में राष्ट्रीय समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित की गई है। जिसमें राइड ऑन मोअर ग्राउंड, मोटराइज पावर रॉलर डीजल, पिंचकटिंग मशीन, स्प्रेडर, एच० फाइल, साइट स्क्रीन, पिच कवर विद व्हील, फेन्सिंग रोप्स आदि दस सेट स्टैंड वाले स्प्रिन्कलरी का प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। ❑

त्रि-स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय

पंचायत प्रतिनिधियों को अब प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। इस निर्णय के बाद अब जिला परिषद् के अध्यक्ष और नगर निगम के मेयर को 4000-4000 रुपये, जबकि जिला परिषद् के उपाध्यक्ष, नगर निगम के उप मेयर, नगर पंचायत के अध्यक्ष को 3000-3000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। पंचायत समिति के प्रमुख और पंचायत समिति के उप प्रमुख को 1500 रुपये, मुखिया और सरपंच को 600 रुपये, उप मुखिया और उप सरपंच को 300 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिये जाएंगा। इनके अलावा इन्हें 100 रुपये दैनिक भत्ता और 5 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा भी मिलेगा। जबकि जिला परिषद्, पंचायत और ग्राम कचहरी के सदस्यों को नियत मानदेय की जगह पर 100 रुपये दैनिक भत्ता और 5 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा।

महादलितों के उत्थान के लिए 288 करोड़ रुपये : राज्य में भुइयां, तुरी, दवगर, डोम, धनगर, घासी, हलालखोर, हाड़ी, मुसहर, नट, पान, स्वासी, रजवार, सहित 18 महादलितों के उत्थान के लिए बिहार सरकार 288 करोड़ देगी। ❑

महत्वपूर्ण फैसले

- ➪ आई०जी०आई०एम०एस० में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 244 पदों का सृजन होगा।
- ➪ नयी बी पी एल सूची में बढे हुए 60 लाख नये बी पी एल परिवारों के लिए राशन और किरासन कूपन कार्ड की छपाई के प्रस्ताव को मंजूरी।
- ➪ कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बिहार महादलित विकास मिशन का निबंधन होगा।
- ➪ त्वरित विद्युत विकास सुधार योजना (ए पी डी आर पी) के तहत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 60 करोड़ रुपये दिये गए।
- ➪ हज भवन को वर्ष 2008- 2013 के बीच रख-रखाव के लिए प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये मिलेंगे। ❑

तिथिवार बिहार

21 फरवरी से 20 मार्च, 2008 तक

21 फरवरी : बिहार बोर्ड में अगले वर्ष 2009 से सी. बी .एस. ई. पैटर्न पर अपग्रेडेड मार्किंग की व्यवस्था लागू होगी।

◆ सरकारी महकमों में अनुसूचित जाति की जगह 'दलित' शब्द का प्रयोग नहीं होगा।

24 फरवरी : राज्य के पूर्व उद्योग मंत्री विपिन बिहारी सिन्हा का निधन।

25 फरवरी : उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने विधान सभा में वित्तीय वर्ष 2008- 09 के लिए 38574 करोड़ रुपये पेश किया।

26 फरवरी : मुख्यमंत्री साइकिल योजना का लाभ पटना जिले की नौवीं कक्षा की 15,813 छात्रों को मिलेगा।

29 फरवरी : राज्य के पूर्व मंत्री राजद के पर्वू प्रदेश अध्यक्ष कमल पासवान का ह्दयगति रूकने से निधन।

◆ राज्य सरकार बाल श्रमिक मुक्त पंचायत, प्रखण्ड व जिला को पुरस्कृत करेगी। पुरस्कार मुखिया, प्रमुख व अध्यक्ष को मिलेगा।

◆ कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लागू करेगी। पौधा संरक्षण और विपणन व्यवस्था में इसके माध्यम से पूंजी निवेश होगा।

◆ एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप में बिहार की कोयसी सिंह ने दोहरी सफलता अर्जित की। कोयसी ने ट्रेप स्पर्धा क` जूनियर वर्ग और डलब ट्रेप की टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किए

01 मार्च : वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर दी जायेगी।

03 मार्च : न्यायाधीश चंद्रमौलि प्रसाद को पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।

06 मार्च: राज्य में औद्योगीकरण के विस्तार हेतु अपेक्षित प्रथम चीज/भूमि। अतएव, भूमि उपलब्ध कराने के लिए स्थापित **लैंड बैंक** के लिए अगले वर्ष में 8977 लाख रुपये का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 में इस योजनान्तर्गत 11939 लाख रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है।

◆ औद्योगीकरण की दिशा में सरकार के सरलीकृत रवैये के परिणामस्वरूप लघु/टाइनी एवं शिल्पीकृत 4176 इकाइयों का निबंधन किया गया है, जिनमें दिसम्बर, 07 तक 8636. 49 लाख रुपये का पूँजी निवेश तथा 12793 लोगों का नियोजन आकलित किया गया है।

07 मार्च : जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सारण तटबंध में 76-77 कि०मी० में 190.00 लाख रुपये की लागत से कटाव निरोधक कार्य संपन्न कराये जा रहे हैं, जबकि गंगा- गंडक नदी के मिलन बिन्दु पर चहारम टोला के नजदीक भी 136.00 लाख रुपये की लागत से कटाव निरोधक कार्य संपन्न कराये जा रहे हैं।

09 मार्च : 390 करेड़ से 801 वित्त रहित कॉलेजों का उद्धार होगा।

10 मार्च : प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में भवन-निर्माण संबंधी आधारभूत संरचना से लेकर सुविधा-विकास हेतु 158.58 रुपये दिये गये।

13 मार्च : केन्द्रीय जल आयोग से बटेश्वर स्थान गंगा पम्प नहर परियोजना हेतु 389.31 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि को स्वीकृति मिली।

◆ राज्य के पाँच प्रमुख संग्रहालयों में सौर ऊर्जा संचालित प्रकाश व्यवस्था होगी।

14 मार्च : पर्यटन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2007-08 में पर्यटन-विकास की 6 योजनाओं को 279.30 लाख रुपये की लागत से पूरा किया गया है।

◆ पटना जिला के अन्तर्गत दस ग्रामीण छोटे पथों के निर्माण पर 3 करोड़ 72 लाख रुपये खर्च होंगे।

◆ ग्रामीण कार्य विभाग से प्राप्त सूचनानुसार, कार्य प्रमण्डल पटना के अधीन पथ निर्माण की दस छोटी योजनाओं पर 372.691 लाख रुपये की प्राक्कलित राशि व्यय की जा रही है।

◆ सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रसार हेतु ब्रेन स्टॉर्मिंग सेसन।

◆ फिल्म अॅप्रीशिएशन वर्कशॉप का पाँचवाँ सत्र सूचना भवन में प्रारम्भ।

16 मार्च : डॉक्टर कॉल सेवा 1911 पूरे राज्य में प्रतिदिन चौबीसों घंटे कार्य करेगी।

◆ डॉ० किशोर शर्मा को दरभंगा के कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है।

18 मार्च : बी०डी०पी० के लिए विश्व बैंक ने 600 करोड़ रुपये की अनुशंसा की।

◆ बी०डी०पी० (Bihar Decentralised Project) हेतु 'विश्व-बैंक' द्वारा 500 करोड़ रुपये की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। प्राप्त विभागीय जानकारी के मुताबिक इस परियोजना के अन्तर्गत पंचायती राज निकायों के निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित सदस्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

◆ 'पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष' (B. R. G. F.) के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार से उपलब्ध निधि 51139.00 लाख रुपये को, जिलों को वितरित की जायेगी। ❑

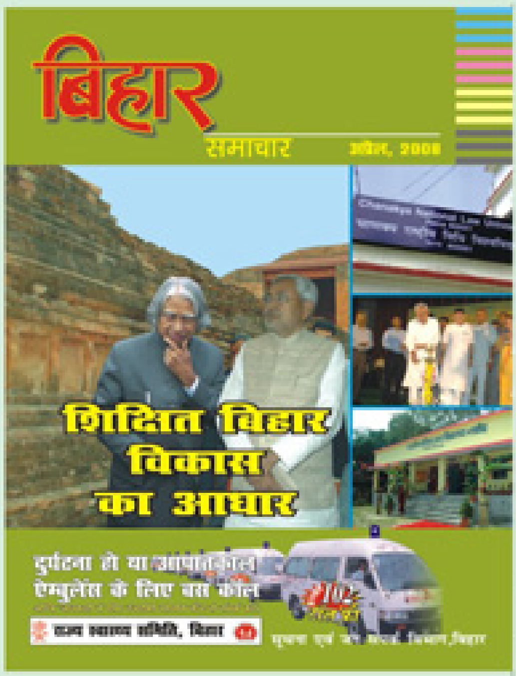

संवाद...

सर्वश्रेष्ठ पत्रिका

विगत माह की "बिहार समाचार" पत्रिका पहली बार पढ़ी। मुझे लगा बिहार में छपने वाली यह सर्वश्रेष्ठ पत्रिका है। छपी हुई सारी रचनाएँ स्तरीय और संग्रहणीय हैं। यह पत्रिका हरेक माह मुझे कैसे प्राप्त होगी। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें।

राजू कुमार, हिलसा
नालंदा

सकारात्मकता का प्रतीक

''बिहार समाचार'' का मार्च अंक पढ़ा। बिहार पुनर्जागरण विशेषांक सही में बिहार के बदलाव को दर्शाता है। बिहार बदला है, यहाँ की फिजां बदली है। हमारा सोच बदला है। सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक पहल के लिए साधुवाद के पात्र हैं पत्रिका परिवार।

अनुपम अनुराग
हैदराबाद

विविधताओं से भरा अंक

''बिहार समाचार'' का मार्च अंक विविधताओं से भरा है। नई नामचीन लेखकों के साथ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का आलेख भी पढ़ने को मिला। बिहार बजट, विकास की नई इबारत/मुख्यमंत्री जी का अभिभाषण, बिहार में नवजागरण, पुनरुत्थान का प्रयास, उद्भव और पुनर्जागरण जैसे आलेखों ने बिहार की बदली तसवीर से रू-ब-रू कराया ही साथ में महिलाओं और बालिकाओं के उत्थान की जानकारी दी। पत्रिका परिवार का प्रयास सराहनीय है।

प्रियंका पुष्प
पटना

बिहार प्रगति पथ पर

''बिहार समाचार'' पत्रिका को पढ़ने का मौका प्रखंड कार्यालय में मिला। बजट के साथ-साथ कृषि से संबंधित समाचार पढ़ा। कृषि प्रक्षेत्र में सप्तरंगी क्रांति हेतु वृहत् योजना को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। सरकार ने किसानों को आगे बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार किया है। निश्चिय ही बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। यह वस्तुतः अतिश्योक्ति नहीं है।

संजीव कुमार मिश्र
मेयारी, समस्तीपुर

आकर्षक साज-सज्जा के साथ बेहतरीन छपाई

"बिहार समाचार" का मार्च अंक अपने मित्र के पास देखा। पत्रिका का कलेवर देखते ही बनता है। आवरण सज्जा आकर्षक लगी साथ ही छपाई के दृष्टिकोण से भी पूर्व के अंकों से यह अंक बेहतरीन लगा। हालांकि थोड़ी-बहुत सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, किन्तु मैं आपको इस बात की बधाई अवश्य दूंगा कि पत्रिका में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है।

आपका
विवेक रंजन,
मधुबनी

निरंतरता बनी रहे

बिहार समाचार के मार्च अंक को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पत्रिका की तारीफ में न जाते हुए मैं आपका डॉ0 ए.पी. जे. कलाम के आलेख की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूँ कि ऐसे महान् हस्तियों के प्रेरणास्पद आलेख देकर आपने हम जैसे साधारण पाठकों को लाभान्वित करने का प्रयास किया है। हम आभार प्रकट करते हुए कहना चाहते हैं कि आगामी अंक में भी ऐसे ही आलेख दिए जाएं।

आपका
राजेश, अरवल

गवर्नेंस की स्थिति में सुधार को लक्षित पुस्तकें

आभा सिन्हा

राज्य की बदली हुई परिस्थितियों में एक नई कार्य-संस्कृति कहीं न कहीं आकार ले रही है। चाहे वे जन प्रतिनिधि हों या प्रशासनिक अधिकारी, सब पर परिणाम देने का दबाव बना है। सूचना का अधिकार लागू होने एवं पंचायत राज की स्थापना के बाद से वास्तव में कई दृष्टियों से राजकाज और गवर्नेंस की स्थिति और तौर-तरीकों में निश्चित रूप से परिवर्तन आया है। जहाँ एक ओर प्रशासन में नई सोच एवं युक्तियों को आजमाने की कोशिशें हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर गवर्नेंस के विभिन्न स्तरों पर जुड़े लोगों, चाहे वे अधिकारी हों, कर्मचारी हों, गैर-सरकारी क्षेत्र के लोग हों अथवा जन प्रतिनिधि-सबके लिए क्षमतावर्द्धन और कौशल उन्नयन अब अनिवार्य हो गया है।

इस दृष्टि से **बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड)** ने एक नई पहल की है। बिपार्ड राज्य का शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है, जहाँ अधिकारियों/कर्मचारियों के सांस्थिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त सूचना का अधिकार, गुड गवर्नेंस, आपदा प्रबंधन एवं नियोजन, ई-गवर्नेंस एवं मानवाधिकार जैसे विषयों पर पंचायत प्रतिनिधियों एवं गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। हाल ही में बिपार्ड द्वारा पंचायत राज एवं विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर महत्वपूर्ण पुस्तकें तैयार की गई हैं। इन पुस्तकों का महत्व इस बात से भी स्पष्ट हो जाता है कि इनका प्रकाशन एवं विपणन शीर्ष अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशन संस्था **मैकमिलन इण्डिया** द्वारा किया जा रहा है। पहले इन पुस्तकों को यूनिसेफ के सहयोग से प्रकाशित किया गया था।

पंचायत राज पर प्रकाशित तीन पुस्तकें–'बिहार में पंचायत राज की नई रूपरेखा, 'त्रि-स्तरीयपंचायत राज के चार स्तंभ' तथा 'ग्राम कचहरी'। पुस्तकों का उद्देश्य आम जन, विशेषकर पंचायत प्रतिनिधियों को बिहार में पंचायत राज की सम्पूर्ण व्यवस्था से परिचित कराना है, उन्हें उनकी भूमिका और कर्त्तव्यों के प्रति सजग करना है और आखिरकार राज्य में पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। इन पुस्तकों में पंचायत राज के दर्शन, इतिहास एवं इनके विभिन्न आयामों की जानकारी सहज, सुबोध भाषा में रोचक ढंग से दी गई है। इनमें सुंदर चित्रों का प्रयोग भी किया गया है। कागज एवं छपाई की गुणवत्ता उच्च कोटि की है। उल्लेखनीय है कि इन पुस्तकों में मुख्यमंत्री का संदेश भी प्रकाशित है।

बिपार्ड ने एक अनूठा प्रयास किया है राज्य में लागू विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर आधारित पुस्तक - ''सामाजिक-आर्थिक विकास की योजनाएँ एवं कार्यक्रम : स्वरूप एवं अंतर्वस्तु'' का प्रकाशन करके। इस पुस्तक में राज्य में चल रही 210 योजनाओं एवं कार्यक्रमों को पाँच खण्डों में संकलित किया गया है जो निम्नवत् है-

खण्ड-1 आधारभूत संरचना

इस खण्ड में उन योजनाओं एवं कार्यक्रमों को संगृहीत किया गया है जो राज्य में सड़क, सिंचाई, आवास आधारभूत तथा बिजली जैसी आधारभूत संरचनाओं के विकास को लक्षित हैं। जैसे-प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना, इंदिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना, बिहार रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी (ब्रेडा) की योजनाएँ इत्यादि। इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन से राज्य में आधारभूत संरचना का अपेक्षित विकास हो सकता है।

खण्ड-2 आर्थिक विकास एवं सुदृढ़ीकरण

इस खण्ड में उन योजनाओं एवं कार्यक्रमों को संकलित किया गया है जिनसे राज्य में आर्थिक विकास की गति तेज करने में मदद मिलती है और जिनसे आम लोगों का जीवन-स्तर उन्नत होता है। ये योजनाएँ कृषि एवं उद्योग क्षेत्र की तसवीर बदल सकती हैं। इनमें सम्मिलित हैं–स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र, हथकरघा प्रक्षेत्र की योजनाएँ, स्फूर्ति योजना, पशुपालन एवं मत्स्य विकास संबंधी योजनाएँ, राष्ट्रीय सम विकास योजना इत्यादि।

खण्ड-3 मूलभूत सुविधाएँ एवं जनस्वास्थ्य

इस खण्ड में उन योजनाओं को संकलित किया गया है जो आम जन को जीवन की मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करने के लिए लक्षित हैं। साथ ही जिनका उद्देश्य जन स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर बनाना है। इस खण्ड में शामिल योजनाओं में प्रमुख हैं–जन वितरण प्रणाली, अन्नपूर्णा योजना, अन्त्योदय अन्य योजना, बिहार राशन कूपन योजना, स्वजल धारा कार्यक्रम तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान इत्यादि।

खण्ड-4 सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय एवं कल्याण

इस खण्ड में वे समस्त योजनाएँ एवं कार्यक्रम संगृहीत हैं जिनका उद्देश्य आमजन को कठिन जीवन स्थितियों में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित कराना है। इनमें वे योजनाएँ एवं कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं जो जन कल्याण को लक्षित हैं। इस खण्ड में संकलित योजनाओं में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना, आई.सी.डी.एस. अल्पसंख्यक कल्याण भवन सह हज हाउस के निर्माण की योजना इत्यादि शामिल हैं ।

खण्ड-5 महिला एवं बाल विकास - शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सशक्तीकरण

इस खण्ड में महिलाओं एवं बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सशक्तीकरण से संबंधित समस्त योजनाएँ एवं कार्यक्रम संगृहीत हैं। इनमें वे योजनाएँ सम्मिलित हैं, जो जीवन-प्रत्याशा, लैंगिक समानता, स्त्री सशक्तीकरण एवं शिक्षा के सर्वजनीकरण को लक्षित हैं, और मानव विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जैसे–सर्व शिक्षा अभियान, मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास कार्यक्रम, नियमित टीकारण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, जननी एवं बाल सुरक्षा योजना इत्यादि।

पुस्तक का आमुख स्वयं मुख्यमंत्री ने लिखा है। पुस्तक के पाँच खण्डों में सिलसिलेवार ढंग से योजनाओं एवं कार्यक्रमों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है ताकि आम लाभार्थी भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर इनका उपयोग कर सके। राज्य में प्रशासनिक तंत्र हाल के वर्षों में इतना लचर रहा है कि स्वयं विभागों एवं विभागीय अधिकारियों को भी इस बात की पर्याप्त जानकारी नहीं रही है कि वास्तव में उनके स्तर पर कितनी और कौन-कौन सी योजनाएँ क्रियान्वित की जानी हैं, कौन-कौन से कार्यक्रम चलाए जाने हैं, गरीब व वंचित लाभार्थी वर्ग की तो बात ही क्या। ऐसे में जबकि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू हो इन पुस्तकों का विशेष महत्व बढ़ जाता है। प्रत्येक योजना एवं कार्यक्रम में पंचायतों की भूमिका का विशेष उल्लेख किया गया है। इससे पंचायत स्तर पर योजनाओं-कार्यक्रमों को लागू करने में बहुत आसानी होगी। बिपार्ड का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय एवं स्वागतयोग्य है। यह कार्य श्रमसाध्य भी रहा होगा और समय साध्य भी। लेकिन पुस्तक की तैयारी एवं साज-सज्जा सहित गुणवत्ता एवं सौन्दर्यबोध का विशेष ध्यान रखा गया है। आमतौर पर सरकारी क्षेत्र में ऐसी पुस्तकें और उनकी ऐसी प्रस्तुति बहुत दुर्लभ हैं।

वास्तव में उपर्युक्त सभी पुस्तकें सुशासन के उपकरण अथवा औजार के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। इनका उपयोग शासन-प्रशासन से जुड़े तमाम लोग, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठन एवं नागरिक समाज के लोग व्यापक रूप से कर सकते हैं। ये पुस्तकें अब मैकमिलन इण्डिया द्वारा प्रकाशित एवं विपणित की जा रही हैं और निम्नलिखित स्थान पर उपलब्ध हैं यथा:

मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड
सिन्हा कोठी, सिन्हा लाइब्रेरी रोड
पटना - 800001, (फोन - 2224348) ❑

कृषक और कृषि

बिहार सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष को 'कृषि वर्ष' घोषित किया है। उसने कृषि बजट में 43 प्रतिशत की वृद्धि की है। 'किसान सम्मान योजना' शुरू की है और 'कृषि' तथा 'कृषकों' के लिए कई अन्य निर्णय भी लिये हैं। उसने पिछले दिनों 'किसान पंचायत' का आयोजन भी किया है। दरअसल, इन निर्णयों और घोषणाओं के क्या कारण रहे हैं? सरकार ने कृषि को विशेष तवज्जो क्यों दी है? क्या यह सब बरबस या अक्समात हुआ है या इसके पीछे सरकार की गहरी सोच रही है? बहरहाल, मैं अपने कॉलम में इस बार इसी की पड़ताल करूंगा।

दरअसल, बिहार की आबादी का बड़ा हिस्सा गांवों में रहता है। उसकी आजीविका का आधार खेती, पशुपालन आदि है। वह तबका वस्तुत: बुनियादी आवश्कता की पूर्ति करता है, जो अन्न है। इसके बावजूद वह सामान्य सुविधाओं से वंचित है और उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। इसे अन्य राज्य में हुई किसानों की आत्महत्याओं से समझा जा सकता है।पिछले आठ-नौ सालों में देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों ने आत्महत्या की है। यह अभी भी जारी है, जो जबरदस्त संकट का द्योतक है। दरअसल, 'भूगोलीकरण' ने 'आंतरिक उपनिवेश' को जन्म दिया, जिसका सीधा दुष्प्रभाव किसानों पर पड़ा। किसानों का अनुदान कम हुआ और कृषि के उपयोग में आनेवाले उपादान महंगे हुए। कर्ज का बोझ बढ़ा। किसान दो पाटों के बीच पिस गये। समाजवादी चिंतक किशन पटनायक ने इस खतरे को बहुत पहले रेखांकित किया था।

ऐसे में, जब संपूर्ण परिवेश (एक व्यापक अर्थ में) किसानों के खिलाफ हो, तो उन्हें संकट से उबारना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है। यहां मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता। चूंकि मेरे विमर्श का केंद्र बिहार है, सो मैं अपनी चर्चा को यहीं तक सीमित रखूंगा। बहरहाल, राज्य के बंटवारे के बाद बिहार में उपजाऊ जमीन और मानव संसाधन के अलावा कुछ नहीं रह गया। सारे उद्योग-धंधे, कल-कारखाने झारखंड में चले गये। सो, सरकार ने गहरे विमर्श और ठोस समझ के साथ कृषि में पहल की।

इधर, सरकार ने 'किसान' को व्यापक अर्थ दिया और उसे परिभाषित किया। उसकी परिधि में भूमिहीन कृषि मजदूर, बटाईदार, मछुआरे, पशुपालक, मुर्गीपालक, मधुमक्खीपालक, घूम-घूम कर खेती करने वाले आदिवासी, कृषि एवं गृह विज्ञान के स्नातक आदि को भी शामिल किया। ये स्नातक यदि कृषि, पशुपालन आदि से अपना जीवन यापन करते हों। साथ ही, सरकार ने किसानों में आत्मविश्वास पैदा किया। इसके अंतर्गत उसने **'किसान सम्मान योजना'** शुरू की।

राज्य के सर्वश्रेष्ठ किसान को 'किसान रत्न', जिले के श्रेष्ठ किसान को 'किसान भूषण' और प्रखंड के श्रेष्ठ किसान को 'किसान श्री' से सम्मानित करने का निर्णय लिया। इसके तहत प्रशस्तिपत्र के अलावा क्रमश: पांच लाख, दो लाख और एक लाख रुपये की राशि तय की। अब तक इस योजना से राज्य के 573 किसानों को नवाजा जा चुका है, जिनमें एक 'किसान रत्न', 38 'किसान भूषण' तथा 534 'किसान श्री' शामिल हैं।

दरअसल, एक पराजित मानसिकता का व्यक्ति सारी योग्यताओं के बावजूद सफल नहीं हो सकता है। सो, आत्मविश्वास व उत्साह सफलता के लिए एक अनिवार्य शर्त है। यह सिर्फ किसानों पर लागू नहीं होती, वरन् विभिन्न क्षेत्रें में काम कर रहे लोगों पर भी लागू होती है। इधर, सरकार ने 17 फरवरी, 2008 को आयोजित किसान पंचायत में 'कृषि' और 'कृषकों' पर गहन विमर्श किया। उसने सीमांत किसान की आय में वृद्धि करने, गांवों से पलायन रोकने, कृषि विकास नीति को मानवीय बनाने, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने, चार साल में 'रोड मैप' बनाने और फसल, फल तथा सब्जी के चयन करने का निर्णय लिया।

सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में एक **'बीज ग्राम'** और एक **'जैव ग्राम'** बनाने का भी निर्णय किया है। यह वस्तुत: खाद एवं बीज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किया है। इसके तहत सभी 538 प्रखंडों के चयनित गांवों के किसानों को आधार बीज के लिए अनुदान दिया जायेगा और उनके द्वारा उत्पादित बीजों को निगम के जरिये बेचा जायेगा। सरकार ने राज्य के बंद पड़े सभी 215 कृषि प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन भी शुरू किया है। इसी तरह **'वर्मी कंपोस्ट'** को बढ़ावा देने के लिए 686 'वर्मी कंपोस्ट' इकाई को स्वीकृति दी है। सरकार ने **'कृषि सलाहकार'** की नियुक्ति तथा **'फारमर्स फील्ड स्कूल'** की स्थापना का निर्णय भी लिया है। इसके तहत प्रत्येक पंचायत में 'कृषि सलाहकार' की नियुक्ति की जायेगी, जबकि एक हजार 'फारमर्स फील्ड स्कूल' स्थापित किये जायेंगे। 'फारमर्स फील्ड स्कूल' का उद्देश्य जहां कृषि तकनीक का प्रसार है, वहीं 'सलाहकार' की नियुक्ति (का उद्देश्य) उपयुक्त सलाह देना।

सरकार ने प्रखंड स्तर पर **'मिट्टी जांच प्रयोगशाला'** स्थापित करने का भी निर्णय लिया है जिससे मिट्टी की किस्मों के अनुरूप फसल पैदा की जा सके। सो, सरकार मनुष्य के स्वास्थ्य की तर्ज पर मिट्टी के स्वास्थ्य का परीक्षण करवायेगी और किसानों को 'मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड' (Soil Health card) देगी। सरकार ने वर्ष 2008-09 में 04 लाख किसानों को यह कार्ड उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। उसने दिसंबर, 2007 तक एक लाख 35 हजार कार्ड उपलब्ध कराये हैं। इसी की एक महत्वपूर्ण कड़ी **कृषि महाविद्यालय, सहरसा** की स्थापना का निर्णय है। इसका मूल उद्देश्य कृषि शिक्षा एवं शोध में गुणात्मक परिवर्तन है। इधर, सरकार ने **'नया बाग लगाओ अभियान'** के तहत 10 हजार हेक्टेयर में फलों के नये बगान लगाने का भी निर्णय लिया है।

जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि सरकार ने गत वित्तीय वर्ष की तुलना में बजट में 43 फीसदी की वृद्धि की है। सो, विगत चार साल के बजट का अध्ययन दिलचस्प होगा। सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष, 2008-09 के लिए 191.34 करोड़ का बजट में प्रावधान किया है, जो गत वित्तीय वर्ष से 57.89 करोड़ ज्यादा है। यह 2004-05 से 131.53 करोड़ , 2005-06 से 170.91 करोड़ तथा 2006-07 से 95.95 करोड़ अधिक है। यह वस्तुत: सरकार की कृषि तथा कृषक के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। उधर, केंद्र सरकार ने किसानों की बढ़ती आत्महत्याओं के मद्देनजर 60 हजार करोड़ की कर्जमाफी की घोषणा की है और अपने वर्तमान बजट (2008-09) में इसका प्रावधान किया है। इस पैकेज से चार करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। दरअसल, किसानों की पीड़ा की धमक चारों ओर सुनाई पड़ रही है। ऐसे में, हमारी सरकार का कृषि तथा कृषक को केंद्र में लाना उसके मानवीय व जनोन्मुख होने का परिचायक है। बहरहाल, मैंने शुरू में जिस पड़ताल की बात कही है उसमें मैं कहां तक सफल हो पाया हूं, यह निर्णय आप पर छोड़ता हूं।

\- अर्जुन राय